ISSN: 2348-1390

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES

VOL. 9 ISSUE 9 SEPTEMBER 2022

A REFEREED AND INDEXED E-JOURNAL

IMPACT FACTOR: 6.033(SIJIF)

Editor in Chief **Dr. Kalyan Gangarde**

Editor **Dr. Sadhna Agrawal**



I NEW MANUEL PROPERTY AND ADDRESS OF				
NEW MAN INTERNATIONAL JOURNAL OF				
MULTIDISCIPLINARY STUDIES				
MONTHLY				
ENGLISH, HINDI, MARATHI				
INDIA				
New Man Publication				
New Man Publication				
Ramdasnagar, Parbhani -431401				
Mob.0 9730721393				
LANGUAGES, LITERATURE, HUMANITIES , SOCIAL				
SCIENCES & OTHER RELATED SUBJECTS				
2014				
2348-1390				
6.033 (SIJIF)				
Currently the journal is indexed in:				
Directory of Research Journal Indexing (DRJI),				
International Impact Factor Services (IIFS)				
Google Scholar				

NMIJMS DISCLAIMER:

The contents of this web-site are owned by the NMIJMS and are only for academic publication or for the academic use. The content material on NMIJMS web site may be downloaded solely for academic use. No materials may otherwise be copied, modified, published, broadcast or otherwise distributed without the prior written permission of NMIJMS.

Academic facts, views and opinions published by authors in the Journal express solely the opinions of the respective authors. Authors are responsible for their content, citation of sources and the accuracy of their references and biographies/references. The editorial board or Editor in chief cannot be held responsible for any lacks or possible violations of third parties' rights.

CONTENTS

1. English Competence in Tribal Pupils of Godavari Delta:

Teacher's View Point

Dr.Indira Priyanka Veernala and Prof. Bhimrao Panda Bhosale

2. The Other Side of the Partition as Reflected in Manoranjan Byapari's Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit

Dr. Sunil D. Ramteke

3. Biocontrol of Fusarium spp. causing wilt in Pigeon Pea

M.A. Patekar and R.P. Biradar

4. भारत में धर्म निरपेक्षता का महत्व डॉ एस0 समी हैदर रिजवी

5. व्यवसायिक संगठनों द्वारा कार्यरत कर्मचारी हेतु शिक्षा के प्रति दायित्व प्रयास रणनीति एवं प्रभाव विनोद कुमार कश्यप, डॉ उषा बख्शी

 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का हिन्दी-भाषा विषयक दृष्टिकोण मुकेश कुमार जाटव, डॉ. पुष्पलता सिंह ठाकुर

7. नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थाच्या कामकाजाचे अध्ययन प्रा. डॉ. आर. एस. शिंदे, कोकरे तुकाराम सिताराम

8. महाराष्ट्रातील कुपोषण-एक दृष्टीक्षेप

प्रा. डॉ. रोडे दिगंबर भगवानराव

1.

English Competence in Tribal Pupils of Godavari Delta: Teacher's View Point

Dr.Indira Priyanka Veernala, Research Scholar, CALTS, University of Hyderabad **Prof. Bhimrao Panda Bhosale,** Research Supervisor, CALTS, University of Hyderabad

Special thanks to ICSSR

ABSTRACT

Bilingual education refers to teaching of two or more languages in the education curriculum. That is in a native language and secondary language. It is important for the revitalization of indigenous languages. Indigenous people or tribes have different culture, customs, religious beliefs, way of living and community life, geographical existence with differentiates from other tribal or local community.

Their culture and language can survive only through bilingual education. It may also develop better understanding of their course, increase attendance and decrease in dropout rate among tribal pupils in schools and colleges.

This paper examines the perspective/viewpoint of non-tribal teachers regarding the competence of tribal students in English across three Govt.colleges in Integrated tribal development areas (ITDA) of K.R.Puram, Rampa Chodavaram, Chintoor East-west Godavari districts of Andhra Pradesh. Pupils in these colleges belong to Koya, Kuvi,Gondi, kolami, yerukula, savara, parji, kupia, konda reddy,Lambadi., These are aboriginal tribes, whereas the teachers teaching English are all from Telugu mother tongue background.

Keywords: Tribal, English medium, Teacher's view...etc

Causes of poor English competence among tribal pupils

- 1. Poor economical back ground.
- 2. Un educated back ground of the parents
- 3. Language barriers
- 4. Lack of cultural sensitivity among teachers
- 5. Isolation (Interior Inhabitation)
- 6. Socio-Cultural back ground.

Methodology

The present paper is an explorative study about problems faced by tribal students in English medium in the colleges. The primary data reported here are collected from the field with the help of Lecturers.

Results and Discussions

Based on the teachers response about their tribal pupils' English competence in the classes, following facts came to our notice. As for as gender differences in tribal pupil's English competence are concerned, the teachers reported that tribal girls performed much better than tribal boys in English language learning. Although the girls were hesitant to speak in English due to phobia or fear of committing mistakes, while speaking; their writing expression was far better than oral competence. Many tribal students drop out from the college studies, as parents want them to get employed and bear the burden of family responsibilities. These pupils are regular in attending English and other subject classes and perform orally in the class. This applies to mostly male pupils. On the other hand, a girl though good in English cannot concentrate on studies as there is psychological pressure of getting married as soon as possible from parental side. This results in their less competence in English. Although, few of the girls still attend college after marriage due to parental counseling by teachers, their focus is divided between college and home front. Hence with great difficulty, they complete their education in Telugu medium with English as a language subject. Although teacher uses bilingual method in teaching English, the pupils always think in their mother tongue as well as Telugu and translate in English. That means they are all subordinate bilinguals, whose weaker language is English and stronger language is mother tongue or Telugu. Most of the girls drop out from college, as they want to get into ANM Nursing courses or TTC teacher training programs to get the job. Hence, there are high dropout rates among girls due to societal pressure or early employment.. This again affects their English competence. Another fact reported by the teachers was that tribal pupils only want jobs in ITDA areas, as they have less competence about facing life outside such areas. This makes them less interested in English; ultimately they will be employed in places where Telugu is optional language and English is of less significance.

Review of literature

There have been several studies on impact of English medium on the competence of Indigenous or mainstream pupils. Present study looks at the English studies teacher's assessment of their Tribal pupils regarding their English competence.

According to PIT London "English medium schools may not benefit India's poorest student, especially those, who are converse in mother tongue at home. It holds the children from learning school skill"

Kapur, Radhik talks about deficiencies in English language education among Tribal pupils. She asserts the need for formulating necessary measures and programs for bringing learning methods, infrastructure facilities, and amenities over all environment of educational institutions. The Tribal communities must become aware of modern and innovative methods to increase their English competence.

Khemundu,Kaphila (2020) observed that Tribal pupils are unable to cope with English medium, as they are accustomed to their mother tongue. The other impediments in learning English in learning English are inappropriate location from the residency, over dependence and thus neglecting English education, inability to understand lessons due to lack of appropriate study materials.

Sweta (2009) mentions poor economic background uneducated background parents, Language barriers, lack of cultural sensitivity among teachers, isolation and teacher related problems as likely causes for poor English competence among Tribal students.

Mohanty, Abhijit (2020) suggested that since tribal children have a background different than their non-tribal schoolmates or teachers, Cordial relationship between tribal students and their teachers results in promoting their language learning in classroom.

Rani observed that due to language barrier, the tribal children are unable to establish communication link with the teacher and thus leading to the termination of their education at some point or the other.

Vaidyanathan and Nair (2012) suggested that teacher learning process than teacher competence.

Jha & Jhingran (2002) have strongly advocated the use of the mother tongue or home language as medium of instruction in early stages of education. This assumes greater significance in the context of tribal education, because their mother tongue is often quite distinct from the prominent languages in the state or the regional languages and it is desirable to have a local teacher from the same tribal community.

The Praitichi committee report (2016-17) identifies cost of schooling, lack of motivation of teachers, lack of inspection and the increasing dependence on private coaching to be the main hurdles in the path of education for tribal children.

Gautam(2003) found that 'high dropout' rates among tribal children. He analyzed that due to wrong medium of instruction, the appointment of non—tribal teachers in tribal areas and the communication gap between the teachers and tribal children are the causes of high dropout rates in Tribal schools.

Shah,M and **A.Atta et. al.**(2012) found Bengali medium schools, which ultimately hinder them to adjust, when they reach college or University level ,as the medium of instructions and answer writing in the exams at this level is English or Hindi.

Conclusion

The present study was undertaken to have an assessment towards the tribal students performing in English/English medium impact in colleges. In this Tribal area it was a nice experience to communicate with teachers and students Chintur, which the selected Tribal area is situated besides river Sabari and forest. It is connected by only road ways, such there is no rail connection are interior, isolate place from all sides. Study reveals the role of teacher's view point on English competence in Tribal pupils of Godavari delta. Various studies suggest that teacher's motivation contribution more than the teacher's competence. Teacher must understand and respect the Tribal culture, tradition and Tribal pupil's difficulties on English medium impact for higher education.

References

- 1. Abdulraheem, A. (2011) Education for the Economically and Socially Disadvantaged Groups in India: An Assessment Economic Affairs Vol. 56 No. 2 June 2011 (Page 233-242)
- 2. Gautam, V. Education of Tribal children in India and the issue of medium of instruction.: A Janashala experience. Conference on language development, language revitalization and

ISSN: 2348-1390

multilingual education in minority communities in Asia.Bangkok:Thailand.SIL international Mahidol university.UNESCO, 6-8 November ,2003.

- 3. Jha,J and D. Jhingran. Elementary education for the poorest and other deprived groups. Centre for policy research. New Delhi. 2002.
- 4. PIT-London "English medium schools may not benefit India's poorest students: Study
- 5. Dr.Kaphila Khemundu&Mr.Niranjan Majhi, Tribal students' problems in English medium of Instructions: An explorative study of Jeevanjyothi convent school in Semiliguda, Koraput, Odisha: Multi shabd journal, volume9,Issue7, July 2020.
- 6. Rani Midalata, Tribal languages and tribal education.. Social action.vol.50.2000.
- 7. Sood, Krishna: (2011)English as an Additional language: Is there a need to embed cultural values and beliefs in institutional practice?, Ministry, Malini, Tina. Education 3-13, v39 n2 p203-215.
- 8. Shah, M. &A. Atta et. al.Impact of socio-economic(SES) of family on the academic advancement of students.Gomal university journal of research.vol.28.No. 1.Pp.12—17. 2012.
- 9. Vaidyanathan & Nair. Elementary education for the poorest and other deprived groups, Elementary education in rural India: A grassroots view. Strategies for human development in India. vol. 2. 2011.

QUESTIONNAIRE FOR LECTURER/TEACHER

- 1. How many students read fluently in English?
- 2. How many of them can write well in English?
- 3. How many can speak well in English?
- 4. How long their attention span?
- 5. Attitude of teachers while teaching English to tribal students?
- 6. Pupil's attitude towards learning English?
- 7. Class room interaction in which language?
- 8. Teacher came from which community?
- 9. What is your opinion for tribal girl's student's English medium education?
- 10. Any English awareness classes conducting for tribal students?
- 11. How many mediums are existing in Degree colleges?
- 12. Any job opportunities are approaching colleges in tribal areas?
- 13. English teaching to Non-tribal student and tribal student deference?
- 14. Knowledge of English in the class room Boys or Girls?
- 15. Why they fear to English?

	ш

2.

The Other Side of the Partition as Reflected in Manoranjan Byapari's Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit

Dr. Sunil D. Ramteke

Assistant Professor of English Santaji Mahavidyalaya, Nagpur

Abstract:

Partition is the saddest event in the history of India. It is always discussed in terms of enmity between in Hindu-Muslims, Hindu-Sikhs, and the enmity between them on the basis of their respective religious identities. However, stories of the marginalised classes like Dalits, Adivasis and nomadic tribes have hardly find place in the partition literature. Two autobiographies in this regard are very important. Manohar Mouli Biswas's *Surviving in My World: Growing Up Dalit in Bengal* and Manoranjan Byapari's *Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit* throw light on the pain of Dalits who returned to India as refugees. They got no aid from the government of India as well as the State Governments including the State Government of West Bengal which was ruled Nuri Communist Party of India, the so-called champions of poor classes. Manoranjan Byapari's autobiography sheds light on the discrimination of the Chandan's who returned to India as refugees from Bangladesh and Pakistan. The present paper aims to highlight the discriminatory treatment booth by the government and upper caste people of India toward the Dalit refugees who came from East Bengal.

Key Words: Partition, Hindu-Muslims, Hindu-Sikhs, enmity, religious identities, Manohar Mouli Biswas, Manoranjan Byapari, Chandals, refugees, etc.

Introduction:

Partition of India into two countries India and Pakistan created a deep scar on the minds of Hindus, Sikhs and Muslims. The separation from the near and dear ones, rapes, looting, violence and uprooting from the motherland and breach of friendship and trust are the features of the partition. Even after many years of partition the people from both sides don't wish to forget the pain and indelible scar in their minds due to partition. The discourse and literature on partition generally revolves around religious hatred and the rootlessness of the people who unwillingly had to leave their place of birth. Many issues arose due to partition. Prominent among them are the rehabilitation of the refugees and creating a sense of belongingness among them. The next is the treatment of the government of India and State Government toward refugees. Most of the literature on partition concentrates on these issues. However, one aspect of partition remains neglected in entire discourse on partition, the discourse on the Dalit refugees and their rehabilitation. Very few books by upper caste writers throw light on the issues pertaining to Dalit refugees.

Manoranjan Byapari's Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit is the translation of his remarkable memoir Itibrite Chandal Jivan originally written in Bengali. The memoir narrates the experiences of a traumatic life led buy a child in the refugee camps of West Bengal and Dandakaranya, who suffered persistent penury, hunger and want. Many new researches and findings take place in recent times about partition. In the wake of growing Hindu nationalism in recent times the discourse of Hindu victimhood emerged and the partition is viewed from the angle of the suffering of Hindus and the atrocities on them by the Muslims. Speaking about this recent discourse on partition Urvashi Butalia remarks:

In the new Hindu resurgent India, for example spaces have opened up for the articulation of narratives of Hindu victimhood and hurt during Partition that are increasingly legitimised and presented as 'truth', and are almost coercively and loudly validated by the power of the majority, sometimes even that of the State, and at other times that of street-level actors. (Butalia, 2017, p. xii)

Hindus discriminatory approach toward their fellow Indian citizens whom they call Dalits do not find the place in the discourse on partition of the Savarna writers. Manoranjan Byapari's *Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit* compels to look at the partition from the perspective of Dalit refugees who have been neglected, discriminated and obliterated in the pages of the history of the partition.

The Partition and exodus in West Bengal:

Manoranjan Byapari was born into an impoverished Dalit family in a place called Turk-khali near the village of Pirichpur in the Barisal District of East Pakistan. He belongs to Namashudra caste who were earlier called Chandals. Poverty was the constant companion of his family. Manoranjan was the first born in his family. There family name was Mondal. However, due to impatient and bragging nature of his grandfather he lost his moneys in the business of saree and started people calling him Byapari. Thus they lost their surname Mondal and eventually called as Byaparis.

After the partition there were riots between Hindus and Muslims. As there was the majority of Muslims in Barisal district now they were taking revenge upon Hindus who heaped indignities upon Muslims. The approach of the Muslims against the Hindus and their subsequent departure of Hindus from East Pakistan is narrated by Manoranjan Byapari in the following words:

They were up in arms now, refusing to co-exist peacefully with a people and a faith that denied them their basic humanity. Fear of their violence was driving thousands from East Pakistan towards an unknown geographical entity called 'India'. Those who were educated, socially established, economically stable, upper caste fled first. Those remaining were planning escape. On what assurance could the economically and socially weaker people stay behind? My father had had no desire to leave his land. I have heard my mother that he used to have good relations with the Muslims and had been assured of his safety by then. But his brothers had already left and my father was hesitant to stay on with a broken family and broken heart. Thus my family crossed the border. (Byapari, 2018)

As there was no assurance of their safety, security and livelihood in East Pakistan Manoranjan Byapari's family came to India. Government of India had no plan for the refugees. Therefore, Manoranjan and his family spend quite a few days on Sealdah station platform and later they were taken to the Shiromanipur

Camp in Bankura District especially raised for the refugees. As they arrived there in the hot summer they had to suffer from the water shortage. There were only two tube wells to quench the thirst of two thousand families. The refugees were some rice and lentils every fortnight and few cash per head. It was called dole. However, due to bad rice the refugees suffered from stomach disorders. Due to heat and the bad quality of food situation like an epidemic of death created in the area of refugee camp. There were number of deaths occurred due to this. Most of the victims were the children who were of seven or eight year's age. Manoranjan also fell ill and it felt that he would die of diarrhea. He was on the verge of death. However, he was survived miraculously.

Most of the upper caste refugees were provided accommodation in city areas. Howevr, the chhotolok like namas, the Pods, the Jeles and the Malos were left to their fate without properly rehabilitating them. In Calcutta over one hundred fifty colonies were sprang up on the land that had been forcibly occupied by the refugees. However, in those colonies only the people with bhadralok identity like Brahmins, Kayasthas and Baidyas could find a space. The lower caste people could not find a space there in those colonies and they were left to their fate. The discriminatory approach of the government added to the woe of the refugees belonging to lower caste identity. Later the central government gave them assurance to rehabilitate on Andaman Islands. However, the Communist Party in Bengal discouraged the refugees from traveling to Andaman and gave them support to be with them. Later on Government stopped any help to the refugees.

Dandakaranya Rehabilitation for the Refugees:

The Government of India then announced a second scheme: the Dandakarnya Rehabilitation Scheme much against the wishes of the refugees. The Danadakaranya Authority had been established on 15 September 1958. Under the Dandakaranya Project barren lands of Bastar, Malkangiri and undeveloped area of the state of Odisha were brought together. Speaking about the land which was brought under Dandakaranya Project Manoranjan Byapari says, "This was an area that it is doubtful if 'civilised' man had ever set foot here. The few tribes who were inhabitants of this place were 'primitive', half-naked tribes. Their language, culture, faiths and food habits were far removed from that of Bengal."(23) In this way Government of India made injustice to the refugees who came to India with great hope. There were two objectives before government to implement this project. On the one hand, an easy solution to the refugee problem would be found, and on the other: this till date unprofitable area could be made productive. Government had shown step-motherly treatment to the poor and Dalit refugees in their rehabilitation giving upper hand to the upper caste and powerful refugees. Much against the wishes of the refugees the government forcefully compelled them to leave West Bengal by evacuating camp area and stopping the government aid due to them.

About fifteen to twenty thousand people from Shiromanipur, Bishnupur and Basudevpur launched a movement under the leadership of the Communist leader against the Dandakaranya Project. However government paid no heed to them. Government finally stopped the help to fail their movement. Manoranjan Byapari says that even British rulers were sympathetic to the Indians who were agitating. Speaking about the indifferent approach of Government of India to the poor Dalit refugees Manoranjan Byapari remarks:

When the English ruled over this land, a national leader had used the fast as a weapon against oppression. In those days, a hunger strike unto death was an event that forced the rulers to negotiate. The British were the people by the sea. Kindness and concern came naturally to them. They valued human lives and knew how painful the pangs of hunger were. And so they rushed to whoever began a fast. The reputation of cruelty that dogs the history of these Englishmen will be seen to be a molehill beside a mountain if compared to the cruelty of Indian rulers, an ant beside an elephant, a drop of dew beside an ocean. (Byapari 27)

ISSN: 2348-1390

In this way Government of India treated the poor Dalit refugees in an inhuman way which was shameful thing in the annals of the history of partition. The people who came to India with hope were treated with contempt as if they were alien to the land. They were provided no facility. Government used Police force to evacuate the camps. Manoranjan and his family then moved to Ghola Doltala in search of their relatives and when they were found they started living with them.

Speaking about the discriminatory approach of Government of India toward Dalit refugees Jhuma Sen writes:

Migration from East Pakistan happened in successive ways—the first in 1947 after the partition of Bengal, the second after the 1954 riots and a third wave after the 1971 war. Even this demarcation of periods of of migration is not an exhaustive one: in 1949-50, migration was caused largely due to communal riots in Khulna and Barisal; in 1956 the adoption of an Islamic constitution by Pakistan spurred more migration; and a million left East Bengal when communal violence erupted in 1964 after the Hazratbal incident....The more entitled upper-caste refugees migrated in large numbers in the first wave(between 1947 to 1949), very few lower-caste ones packed up and left. In contrast, the figure rose sharply in late 1949 and early 1950, when they were the targets if terrible communal violence that ripped apart parts of East Pakistan. Rehabilitation measures adopted for the two classes also remained disparate owing to this reason---while the former, with resources at their disposal, could easily integrate into the mainland of West Bengal, the later were forced to live on the fringes or, as the new resettlement policies demanded, scattered in different part of their new nation, most notably in Dandakaranya. It must also be mentioned here that in Calcutta and its vicinity, 149 unauthorized colonies, colloquially termed jabor dakhal(forcefully occupied), sprang up to house the bhadralok refugees and encroachment had a smooth sail to legalization subsequently. Conversely, the *chhotolok* (or lower0caste) refugees were placed in transit camps and forced out of state. (Sen, 2015)

The problems of untouchable refugees do not solve even after reaching to India. Their rehabilitation at proper place was not taken place and they were left to their fate. Their caste became the great hurdle in their rehabilitation by the government. Dr. B.R. Ambedkar in his undelivered speech Annihilation of Caste speaks about the menace of the caste as monster. He says, "Turn in any direction you like, caste is the monster that crosses your path. You cannot have political reform, you cannot have economic reform, unless you kill this monster." (Ambedkar, 1989)

The monster of caste of the refugees came in their way of rehabilitation. They were discriminated on the basis of their caste and not treated as the refugees seeking help, refuge and respected life due to them.

Marichjhapi Incident:

Dalit refugees were against the Dandakarnya Project. An organization of the Communist and the Forward Bloc leaders, called the United Central Refugee Council, popularly known as the UCRC, opposed the central Government's initiative to rehabilitate refugees in Andaman and Nicobar islands. The UCRC provoked the refugees to to leave Bengal, and encouraged to demand their rehabilitation on the Sundarban island. The deputation was given to the then Chief Minister of Bengal, Dr. Bidhan Chandra Ray, on 12 August, 1959, with a proposal that 6875 families be rehabilitated upon 65.54 square miles of developed land in the Sundarbans. However, their demand was not fulfilled by the state government.

Then Jyoti Basu, the leader of the Communist Party of India (Marxist), visited Bhilai Industrial belt to address a meeting. In that meeting he assured the refugees that if his party came to power, they would fulfill the demands of the refugees to be rehabilitated within West Bengal. The leftist formed the government in West Bengal in 1977 and the Dandakaranya refugees went to Jyoti Basu to fulfill the promise of the rehabilitation of them in Bengal. The minister Ram Charan Chatterjee and the Left Front Committee Chairman Ashoke revisited Dandakaranya on 16 January 1978. At the end of which Ashoke Ghosh declared that on their return to Bengal, the refugees would find fifty million people with their 1 billion of hands welcoming them back home. Refugees from various places of Dandakaranya stated their journey back to West Bengal in the month of March 1978. However, Jyoti Bsu now changed his views and alleged that the island of Marichjhapi had been conserved for the tiger and hence was no fit place for human beings to live on. Jyoti Basu government tried to thwart the effort of the refugees to reach Marichihapi island with the help of police. On 18 April, braving all the obstacles, the refugees crossed the Kumirmari island to arrive at Marichihapi. The refugees without any aid from the government transformed the uninhabited island of Marichjhapi into a bustling little town. Roads, schools, bread factories, bidi factories, markets were set up in a short period by the refugees. However, Jyoti Basu Government unleashed the police and their own political cadres on the refugees. Section 144, the Criminal Procedure Act that forbids the assembling of more than four people was imposed on the island. The police blocked the entry of the water, medicines, and most items of food to be procured from outside the island. To evade the police and to procure the essential things from other islands over two hundred boats of the refugees were capsized. On 31 January 1979., the police shot about twodozen tear gas shells into the crowds that stood shouting slogans along the edges of the island. Thousands of half-starved, unarmed people were beaten, raped, and murdered by the police. Dead bodies were dumped in the mid-sea and in the depths of jungle. The carnage continued from 31 January to 8 May 1979.

Hoever, Jyoti Basu Government denied the charge of any death of refugees by the police beating or shoots out. Government justified its stand in evacuating the Marichjhapi island. The refugees were alleged to give refuge to the Banglandeshi migrants and with their help wish to create a separate nation. Speaking about the inhuman and indifferent treatment of the refugees by the Government Manoranjan Byapari writes:

The easiest way to justify the murder of a dog is by first branding him mad and dangerous. This time-tested method was used to justify the Marichjhapi firing. It was alleged that a group of people, with the active cooperation of the neighbouring nation of Bangladesh, had crossed the border into India with the objective of creating a separate nation here. This improbable declaration had not met with any objection from the many fellow Bengalis who resided in West Bengal. (Byapari 241).

In this way the so-called pro-poor Government of Jyoti spared no turns unturned to brand the refugees as anti-nationals and ruthlessly exterminated, evacuated them from the island of Marichjhapi. The Marichjhapi massacre is the blot on the Marxist Government of Jyoti Basu.

Conclusion:

The literary discourse on the partition is centered on Hindu-Muslims or Hindu-Sikhs. However, it failed to gauge the magnanimity of the sufferings, exploitation, and torture of the Dalit refugees. The apartheid of the Central Government and State Government of West Bengal is poignantly narrated by Manoranjan Byapari in his autobiography. Hence, his autobiography *Interrogating Chandal Life* throws light on the unknown aspect of the partition. The autobiography brings to the fore untold saga of the Dalit refugees who were treated as the unwanted, wretched and beggars and not as dign9ified human beings by Government, upper caste refugees, upper caste Indian and politicians. The autobiography gives an insight to see the other side of the partition.

Works Cited

- Ambedkar, B. (1989). Annihilation of Caste. In V. Moon (Ed.), *Dr. Babasaheb Ambedkar Writings And Speeches Vol.1* (1st ed., p. 47). Bombay, Maharashtra, India: The Education Department Government of Maharashtra.
- Biswas, M. M. (2015). Surviving in My World. Kolkata: Samya, an imprint of Bhatkal and Sen.
- Butalia, U. (2017). *The Other Side of Silence : Voices from the Partition of India*. Gurgaon, Haryana, India: Penguin Random House Pvt. Ltd.
- Byapari, M. (2018). *Interrogating My Chandal Life* (1st ed.). New Delhi, Delhi, India: Sage Publications India Pvt Ltd.
- Sen, J. (2015). Reconstructing Marichjhapi. In U. Butalia (Ed.), *Partition: The Long Shadow* (1st ed., pp. 113-14). New Delhi, Delhi, India: Viking by Zubaan and Penguin Books India.



3.

ISSN: 2348-1390

Biocontrol of Fusarium spp. causing wilt in Pigeon Pea

M.A. Patekar and R.P. Biradar

PG Department of Botany, Shivaji College, Udgir Dist. Latur, Maharashtra. Pin: 413 517

ABSTRACT

The drawbacks of using chemical fungicides to manage plant pathogenic fungus like *Fusarium* spp. has prompted the search for alternatives. As a result, the current investigation was conducted to assess the antifungal potentials of *Moringa oleifera* leaf extracts against the Pigeon pea wilt pathogen. In the *M. oleifera* leaf extract, phytochemical examination employing qualitative chemical assays indicated the presence of many important phytochemical components such as phenols, alkaloids, and saponins. *In-vitro* efficacy of different concentration of *Moringa oleifera* Lam. plant extract *viz.* 2.5%, 5.0%, 7.5% and 10.0% has been tested to control *viz. fusarium udum* causing wilt in pigeon pea. Pathogenic fungi have been isolated from infected plant parts and identified based on their morphological and cultural characteristics. All the plant extracts showed considerable reduction in the growth of pathogen. Growth of *fusarium udum* has been reduced by 10.0 % concentration of *Moringa oleifera* Lam. showed highly suppressed mycelial growth inhibition (70.83%); 7.5 % concentration and 19.44 % in the case of 2.5 % concentration. The linear mycelial growth decreased from 7.2 cm in the control to 2.1 cm with 10.0 % concentration. From the above observations it can be postulated that growth of both the pathogens has been significantly reduced by *Moringa oleifera* Lam. extracts.

Key words: Biocontrol, Pulses seed pathogens, *Fusarium*.

1.0 Introduction

India is the biggest producer and user of Pluses in the world. Pulses production of India is around 19.3 MT (ESI, 2015; Singh et al., 2017). Pulses are grown in all three seasons in the Indian subcontinent viz. i. Kharif, covering Cajanus cajan (L.) Millsp, Arhar (Tur); Vigna mungo (L.) Hepper, Urd (Blackgram); Vigna radiate (L.) Wilezek, Moong (Green gram); Vigna unguiculate (L.) Walp, Lobia (Cowpea); Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc., Kulthi (Horsegram) and Vigna acontifolia (Jacq.) Marechal., Moth; ii. Rabi – Cicer arietinum (L.), Gram; Lens culinaris Medik, Lentil; Pisum sativum (L.), Pea, and Phaseolus vulgaris (L.), Rajmash iii. Summer – Vigna radiate (L.) Wilezek, Greengram; Vigna mungo (L.) Hepper, Blackgram and Vigna unguiculate (L.) Walp, Cowpea (Sinha et al., 2018).

Pigeon peas are high in vitamins and minerals. According to estimates, the one cup (160 gm.) of Pigeon peas contains protein content of 18.26% to 18.36 % (Swaminathan and Jain, 1973). India has developed a high protein line (HPL) with up to 32.5 % protein content and much more sulphur-containing amino acids (Cysteine and Methionine). The seed has a carbohydrate content of 51.4-58.8 %, a crude fibre content of 1.2-8.1 %, and a lipid content of 0.6-3.8 % (Faris and Singh, 1990). Pigeon peas are abundant

in water-soluble vitamins like thiamine, riboflavin, and niacin, as well as essential minerals like calcium, magnesium, iron, and potassium.

Diseases are a major influence in limiting yields and lowering the quality of edible legumes. Although legume crops are susceptible to a variety of insects, pests and disease, seed-borne disease is a significant source of worry since its occurrence, if not managed, may completely destroy the crop. Pigeon pea is infected with 210 pathogens (83 fungi, 4 bacteria, 19 viruses and mycoplasma, and 58 nematodes) from 58 nations worldwide, with 98 infections recorded in India (Nene, 1996). *Cercospora cajani* (27 nations) and *Fusarium udum* (20 countries) are the diseases with the most widespread distribution. Among these diseases, *Fusarium* wilt is widespread in legumes growing regions. Wilt diseases caused by *Fusarium spp.* found to be important factor in limiting the overall yield and the quality of edible legumes. In pigeon pea, wilt is predominant in all major pigeon pea growing areas throughout the world and causes 30-100% yield loss (Nongmaithem et al., 2017).

Fusarium is a fungus that may be found in soil from all over the globe. It may be found not just in temperate and tropical climates, but also in extreme environments like the arctic and deserts (Gerlach and Nirenberg, 1982; Nelson, 1983). Vascular wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp udum (Butler) is one of the most serious and damaging disease of Pigeon Pea in India.

Farmers rely on synthetic pesticides as their primary means of disease management to control the illness, but the environment and human health have suffered as a result of their usage. Furthermore, owing to their carcinogenicity, teratogenicity, high and acute residual toxicity, protracted degradation time, environmental contamination, and potential negative effects on human health through the food chain, their usage has been prohibited (Hollomon, 2015; Ishii and Holloman, 2015; Enyiukwu et al., 2014; Aiying et al., 2011). In line with public opinion and concerns about environmental and human safety, the development of resistance by several strains of plant pathogens as a result of progressive use of such chemicals and increasing regulations on chemical pesticides use (Elliott et al., 2009), it is critical to investigate new alternatives that will reduce the pathogen's overdependence on synthetic chemicals. Today, substantial and concerted efforts are being made to give emphasis to plant-based pesticides, since there is a need to find dependable and long-lasting solutions that balance man's and the environment's needs (Taiga et al., 2008; Amadioha, 2002).

Moringa oleifera is a medical plant that is quickly gaining traction as a safer and more environment friendly alternative to conventional fungicides. Antimicrobial characteristics may be found in all parts of the plant, including the roots, flowers, bark, stem, leaves, seeds, and essential oils, which are utilised for medical and other uses (Dwivedi and Enespa, 2012; Anwar et al., 2007). Chemical research of these morphological sections revealed that they include a profile of vital minerals, vitamins, protein, and a substantial number of phytochemical substances with biological activity that might be employed to prevent bacteria from causing harm (Arora and Onsare, 2014; Satish et al., 2013; Gurjar et al., 2012). Phytochemical examination of the *M. oleifera* leaf indicated the presence of numerous antioxidant components such as ascorbic acid, fatty acids, and phenolic acids, according to recent findings (Vongsak et al., 2014; Alhakmani et al., 2013). Other chemicals found in *M. oleifera* include quercetin, zeatin, sitosterol, kaempferol, caffeoylquinic acid, myricetin, rutin, chlorogenic acid, glycosides niaziminin and niazin (Sharma and Paliwal, 2013) and myricetin, rutin, chlorogenic acid, glycosides niaziminin and niazin (Mbikay, 2012). Antimicrobial (Arora et al., 2014; Arora et al., 2013; Dwivedi and Enespa, 2012),

antifungal (Batista et al., 2014; Kadhim and Al-Shammaa, 2014), antioxidant (Verma et al., 2009), antibacterial (Arora and Onsare, 2014; Belay and Sisay, 2014), antiulcer (Arora and Onsare, 2014), anticancer (Pinto et al., 2015). The antifungal inhibitory activity of Moringa-Chitin Binding Protein (Mo-CBP3) isolated and purified from the seeds of Moringa oleifera against mycelial growth and spore germination of *Fusarium solani* was reported by Batista et al. (2014) and Gifoni et al. (2012) at the minimum inhibitory concentration (MIC) concentration (0.05 mgmL1) with irreversible ultrastructural changes.

Although there are several studies on the effectiveness of M. oleifera extracts as a bio-fungicide against plant pathogenic fungus, further research is needed to fully understand the impact of M. oleifera extracts on wilt pathogen of Pigeon pea. Therefore, the objectives of the present study were to evaluate its antifungal activity against Fusarium udam.

2.0 Materials and Methods

2.1 Isolation, purification and identification of pathogen from infected pigeon pea plant:

Plant parts showing wilt characteristic has been collected from the pigeon pea field. The samples have been taken from Udgir, District Latur, Maharashtra in September, 2017. The plant parts were examined under microscope to confirm the presence of respective pathogen. First, infected plant parts are cut into pieces (2-3 mm), then it is surface sterilized with 0.1% mercuric chloride solution for 1 Min. The plant parts are washed three times with sterilized distilled water and transferred aseptically on Potato Dextrose Agar (PDA) media. The inoculated plates have been incubated at room temperature (27±2°C) and observations are made daily for emergence of culture. After the development of the fungal colonies stock cultures have been prepared using PDA in test tubes and stored in refrigerator at 4°C. Wilt pathogens were isolated from infected pigeon pea plants and identified as per the monograph and standard procedures.

Spores of *Fusarium oxysporum* f. sp *udum* was taken from the pure culture and mounted on the clear glass slide. Spores were mixed thoroughly with Lactophenol in order to obtain a uniform spread over on which a cover slip was placed. The spores and hyphae of the fungus were observed by using camera Lucida attached to compound microscope.

2.2 Bio-control of disease causing pathogen by using plant extracts:

Leaf extracts of various concentrations (2.5%, 5.0%, 7.5% and 10.0%) of *Moringa oleifera* Lam. was examined against isolated *Fusarium oxysporum* f. sp *udum*.

2.2.1 Preparation of aqueous extracts:

Green leaf samples (100gm) were collected and washed very carefully with distilled water. Then plant parts were ground with conventional grinder called 'Mortar and pastel' which is available and popular in every Indian farmer's house. Then grounded material were dipped in to 100 ml distilled water for 48 hours for complete extraction of the active ingredient from the extracted samples (Ahmed et al., 2013). After that the water and ground material were filtered with the help of muslin cloth. This extract

filtered with the help of Whatman's grade filter paper no. 1. Then crude extracts were preserved in glass bottles and kept in refrigerator at $4 + -2^{\circ}C$ for further use.

2.2.2 Mycelial growth inhibition by poison food technique (Nene and Thapliyal, 1993):

Efficacy of leaf extracts with different concentrations were examined by Food poison technique. (Nene and Thapliyal, 1993). The linear mycelial growth of fungi has been taken after seventh day of incubation.

The required concentrations of plant extracts were obtained by taking 2.5, 5.0, 7.5, and 10.0 mL of extracts in 100 mL of warm agar PDA /GNA media.

The different concentrations of plant extracts prepared in agar media were 2.5, 5.0, 7.5, and 10.0 %. The media were poured in sterilized petriplates and allowed to solidify. The control plates were maintained where media was not treated with plant extracts. These plates were inoculated by 4mm disc of *Fusarium oxysporum* in the center aseptically. These plates were incubated at $28 \pm 1^{\circ}$ C. The observations were recorded in the form of linear growth of fungal pathogen in centimeter (cm.) after seven days of incubation period.

Linear mycelial growth inhibition was calculated by following formula:

Percentage of fungal growth inhibition =
$$\frac{gC+gT}{gC}X$$
 100

Where,

gC= Mycelial growth of fungus in control plate (cm)

gT= Mycelial growth of fungus in treated plates (cm)

2.3 Data Analysis

Data was analysed by Analysis of Variance (ANNOVA) and LSD was calculated at P=0.05 for significance.




Plate I: Vascular wilt




Plate III: Pure culture of Fusarium udam



Plate II: Infected plant



Plate IV: Spores of Fusarium udam

3.0 Experimental Results

3.1 Effect of Moringa oleifera Lam. on growth of Fusarium oxysporum:

Results depicted in Table 1 & 2, Fig. 1 and plate V revealed that aqueous extract of *Moringa oleifera* Lam. leaves showed antifungal activity against *Fusarium oxysporum* at different concentration (2.5%, 5.0%, 7.5% and 10.0%). It was observed that, as concentration of aqueous extracts increased the mycelial growth was found reduced. Control plate without leaf extract showed average 7.2 cm. mycelial growth on seventh day of incubation while plates with 2.5%, 5.0%, 7.5% and 10.0% concentration were recorded with an average 5.8 cm., 4.3 cm., 3.1 cm. and 2.1 cm. linear mycelial growth with 19.44%, 40.27%, 56.94% and 70.83% fungal growth inhibition respectively.

The values of F indicated that there was significant variation due to various concentrations of extract. The mycelial growth significantly and gradually decreased from 7.2 cm. in control 2.1 cm. at the concentration of 10.0 %.


Table 1: Effect of Moringa oleifera Lam. on growth of Fusarium oxysporum

Sr. No.	Aq. Extract concentration	Linear mycelial growth in cm.			Growth		
	(%)	R1	R2	R3	Mean	inhibition %	
1	0	7.2	7.3	7.1	7.2	0	
2	2.5	5.6	5.8	6	5.8	19.44	
3	5	4.5	4.3	4.1	4.3	40.27	
4	7.5	3.1	3	3.2	3.1	56.94	
5	10	2	2.2	2.1	2.1	70.83	
SE	0.1342						
CD 5%	0.3099						
CD 1%	0.4508						

ISSN: 2348-1390

Table 2: Analysis of variance (ANOVA)

Source	df	SS	MSS	F	S/NS
Concentration	4	50.22	12.555	465	S
Replications	2	0.004	0.002	0.0741	NS
Error	8	0.216	0.027	-	-
Total	14	50.44	-	-	-







2.5% 5.0%



Control





7.5% 10.0%

PLATE V: Effect of Moringa oleifera Lam. on growth of Fusarium oxysporum

4.0 Discussion

During the present investigation *Moringa oleifera* Lam. leaf extracts of different concentrations showed encouraging effect on pathogenic fungi. Leaf extract was found to be most effective with increasing concentration to control the growth of fungi.

After seventh day of incubation, control plate without leaf extract showed 7.2 cm. linear growth of *Fusarium oxysporum*. Petriplates with 2.5%, 5.0%, 7.5% and 10.0% concentration of aqueous extract showed an average 5.8 cm., 4.3 cm., 3.1 cm. and 2.1 cm. linear growth, whereas, percentage inhibition recorded was 19.44%, 40.27%, 56.94% and 70.83% respectively.

Bowers and Locke (2000) found that 10 % aqueous emulsion of pepper, clove and cassia extracts reduced the growth of fusarium oxysporum f.sp.chrysanthemi (Foc) in soil by 99.9%, 97.5% and 96.1% after three days of incubation, while 5% aqueous emulsion of pepper extracts reduced the population densities of fusarium oxysporum f.sp.chrysanthemi by 99.9%. Chand et al., 2005 explained the inhibitory activity of Eucalyptus globulus, Jatropha multifida, Azadirachta indica, and Allium sativum against wilt incidence in chickpea. Uzma et al., 2008 investigated the antifungal efficacy of asafetida (Ferula asafoetida), black cumin seed (Nigella sativa), neem (Azadirchta indica) and mustard (Brassica compestris) oils against eight fungal species viz. Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium moniliformae, Fusarium oxysporum, Fusarium nivale, Fusarium semitectum, Alternaria alternata and Drechslera hawiensis. Sharma and Kumar, 2009 reported that the extract of three weed plants, namely, Capparis decidua, Lantana camara and Tridax procumbens, showed antifungal property against Fusarium oxysporum. Gaire and Subedi, 2013 recorded the antifungal activity Acetone extracts of Datura stramonium against several fungi including Fusarium oxysporum. Khaleel et al., 2014 recorded fungitoxic effect of Allium sativum extract, Azadirachta indica leaf extract, Zingiber officinale Extract, Calatropis procera leaf extract, Moringa oleifera leaf extract and Parthenium hysterophorus L. leaf extract showed against F. oxysporum f.sp. pisi.

The result of the present study showed identical output with *Moringa oleifera* Lam. leaf extracts as most effective antifungal agent against F. *oxysporum* f sp *udam* at 10% concentration.

5.0 Conclusions:

The aqueous leaf extract of *Moringa oleifera* Lam. was found considerably strong inhibitory on wilt pathogen. All applied concentration of leaf extracts significantly found to be decreasing the growth of wilt pathogen. Whereas the 10% concentration of leaf extract was found to be most effective against F. *oxysporum* f sp *udam*.

6.0 References:

Aiying, W., Binggan, L., Tong, X. and Chai, L. (2011). Defence responses in tomato fruit induced by oligandrin against Botrytis cinerea. *African Journal of Biotechnology*, vol. 10, pp. 45954601.

Alhakmani, F., Kumar, S. and Khan, S.A. (2013). Estimation of total phenolic content, *in–vitro* antioxidant and anti–inflammatory activity of flowers of *Moringa oleifera*. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, vol. 3, no. 8, pp. 623-627, discussion 626-627.

Amadioha, A.C. (2002). Fungitoxic effects of extract of *Azadirachta indica* against *Cochliobolus miyabeanus* causing brown spot disease of rice. *Archives of Phytopathology and Plant Protection*, vol. 35, no. 1, pp. 37-42.

Anwar, P., Latif, S., Ashraf, M., Gyan, A. (2007). Moringa oleifera: a food plant with multiple medicinal uses. *Phytotherapy Research*, vol. 21, no. 1, pp. 17-25.

Arora, D.S. and Onsare, J.G. (2014). In vitro antimicrobial evaluation and phytoconstituents of *Moringa oleifera* pod husks. *Industrial Crops and Products*, vol. 52, pp. 125-135.

Arora, D.S., Onsare, J.M. and Kuar, H. (2013). Bioprospecting of Moringa (Moringaceae): microbiological perspective. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, vol. 1, no. 6, pp. 193-215.

Batista, A.B., Oliveira, J.T., Gifoni, J.M., Pereira, M.L., Almeida, M.G., Gomes, V.M., Da Cunha, M., Ribeiro, S.F., Dias, G.B., Beltramini, L.M., Lopes, J.L., Grangeiro, T.B. and Vasconcelos, I.M. (2014). New insights into the structure and mode of action of *Mo*-CBP₃, an antifungal chitin-binding protein of *Moringa oleifera* seeds. *PLoS One*, vol. 9, no. 10, pp. e111427.

Belay, K. and Sisay, M. (2014). Phytochemical constituents and physicochemical properties of medicinal plant (*Moringa Oleifera*) around bule hora. *Chemistry and Materials Research*, vol. 6, no. 7, pp. 61-72.

Bowers, J.H. and Locke, J.C. (2000). Effects of botanical extacts on the population density of *Fusarium oxysporum* in soil and control of *Fusarium* wilt in the greenhouse, *Plant Disease*, 84, 2000,300-305.

Chand, H. and Singh, S., (2005). Control of chickpea wilt *Fusarium oxysporum* f sp. *ciceri* using bioagents and plant extracts. *Indian Journal of Agricultural Sciences* vol. 75, no. 2, pp. 115-116.

Dwivedi, S.K. and Enespa, A. (2012). Effectiveness of extract of some medical plants against soil borne fusaria causing diseases on *Lycopersicon esculantum* and *Solanum melongena*. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*, vol. 3, pp. 11711180. Elliott, M., Shamoun, S.F., Sumampong, G., James, D., Masri, S. and Varga, A. (2009). Evaluation of several commercial biocontrol products on European and North American populations of *Phytophthora ramorum*. *Biocontrol Science and*

Enyiukwu, D.N., Awurum, A.N. and Nwaneri, J.A. (2014). Efficacy of plant-derived pesticides in the control of myco-induced postharvest rots of tubers and agricultural products: a review. *Net Journal of Agricultural Science*, vol. 2, no. 1, pp. 30-46. ESI, (2015). The Economic Survey 2014-15. The Economic survey of India. New Delhi.

Faris D.G. and Singh U. (1990). Pigeon pea: Nutrition and Products. In: Nene, Y.L., Hall, S. D. and Sheila, V.K. Eds., The Pigeonpea, CAB International, Wallingford, 401-434.

Gaire, B. and Subedi, L. (2013). A review on the pharmacological and toxicological aspects of Datura stramonium L. Journal of Integrative Medicine. vol. 11 pp. 73-79.

Gerlach, W. and Nirenberg, H. (1982). The genus Fusarium-A Pictorial Atlas, Paul Parey. Berlin, Germany, pp. 406.

Gifoni, J.M., Oliveira, J.T., Oliveira, H.D., Batista, A.B., Pereira, M.L., Gomes, A.S., Oliveira, H.P., Grangeiro, T.B. and Vasconcelos, I.M. (2012). A novel chitin-binding protein from *Moringa oleifera* seed with potential for plant disease control. *Peptide Science*, vol. 98, no. 4, pp. 406-415.

Gurjar, M.S., Ali, S., Akhtar, M. and Singh, K.S. (2012). Efficacy of plant extracts in plant disease management. *Agricultural Sciences*, vol. 3, no. 3, pp. 425-433.

Hollomon, D.W. (2015). Fungicide resistance. 40 years on and still a major problem. In Ishii H. and Hollomon, D.W., eds. *Fungicide resistance in plant pathogens*. Tokyo: Springer, p. 3-11.

Ishii H. and Hollomon, D.W. (2015). Fungicide resistance in plant pathogens. Tokyo: Springer.

Kadhim, E.J. and Al-Shammaa, D.A. (2014). Phytochemical characterisation using GC-MS analysis of methanolic extract of *Moringa oleifera (Moringaceae)* plant cultivated in Iraq. *Chemistry and Materials Research*, vol. 6, no. 5, pp. 9-26.

Khaleel, M., Subhani, M.N., Ali, A., Sahi, S.T., Hussain, S. and Abbas, W. (2014). In-Vitro Evaluation of Homeo-Fungicides and Methanolic Plant Extracts Against Mycelial Growth of Fusarium oxysporum F.Sp. Pisi Causing Wilt Disease in Pea. Pak. J. Phytopathol., Vol. 26, No. 02, pp. 247-251.

Mbikay, M. (2012). Therapeutic potential of *Moringa oleifera* leaves in chronic hyperglycemia and dyslipidemia. a review. *Frontiers in Pharmacology*, vol. 3, pp. 24.

Nene, Y.L. and Thapliyal, P.N. (1993). Fungicides in plant diseases control. Oxford and IPH. Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi. p. 531.

Nene, Y.L., Sheela, V.K. and Sharma, S.B. (1996). A world list of Chickpea and Pigeonpea pathogens. 5th edⁿ. Patancheru 502324, Andhra Pradesh, India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (Semi-formal Publication), Hyderabad.

Nongmaithem, N., Basudha, C. and Sharma, S.K. (2017). Incidence of Rust, Powdery Mildew and Wilt in Pea and Broad Bean Plant of Manipur, India. *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci.* 6(8): 2611-2616.

Technology, vol. 99, no. 10, pp. 1007-1021.

Pinto, C.E., Farias, D.F., Carvalho, A.F., Oliveira, J.T., Pereira, M.L., Grangeiro, T.B., Freire, J.E., Viana, D.A. and Vasconcelos, I.M. (2015). Food safety assessment of an antifungal protein from *Moringa oleifera* seeds in an agricultural biotechnology perspective. *Food and Chemical Toxicology*, vol. 83, pp. 1-9.

Satish, A., Punith Kumar, R., Rakshith, D., Satish, S. and Ahmed, F. (2013). Antimutagenic and antioxidant activity of *Ficus benghalensis* stem bark and *Moringa oleifera* root extract. *International Journal of Chemical and Analytical Science*, vol. 4, no. 2, pp. 45-48.

Sharma, B., and Kumar, P. (2009). In vitro antifungal potency of some plant extracts against Fusarium oxysporum. *International Journal of Green Pharmacy*, vol. 3, no. 1, pp. 63-35.

Sharma, V. and Paliwal, R. (2013). Isolation and characterization of saponins from *Moringa oleifera* (*Moringaceae*) pods. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, vol. 5, no. 1, pp. 179-183.

Singh, P. & Shahi, B. and Singh, K. (2017). Trends of Pulses Production: A Study on Current Scenario and Strategies in India with Special Reference to Bihar. Economic Affairs. vol. 62, no. 3, pp. 389-398.

Sinha, P., Rizvi, G. and Parashar, R. (2018). Management of Wilt Disease of Pulses: A Review, Int. J. Pure App. Biosci. vol. 6, no. 4, pp. 696-708.

Swaminathan, M.S. and Jain, H. (1973). Food legumes in Indian Agriculture. In: Milner, symposium sponsored by PAG, held at FAO, Rome, Italy, 3-5 July 1972. PAG of the United Nations System, United Nations, New York, pp. 69-82.

Taiga, A., Suleiman, M. N. W. and Olufolaji D, B. (2008). Comparative in vitro inhibitory effects of cold extracts of some fungicidal plants on *Fusarium oxysporium* mycelium. *African Journal of Biotechnology*, vol. 7, no. 18, pp. 3306-3308.

Uzma, S., Ishrat, N., Jawed, N. and Nasreen, S. (2008). Antifungal effect of essential oils on *in vitro* growth of pathogenic fungi, *Pak. J. Bot.*, 40(1): 409-414.

Verma, A.R., Vijayakumar, M., Mathela, C.S. and Rao, C.V. (2009). In-vitro and in-vivo antioxidant properties of different fractions of *Moringa oleifera* leaves. *Food and Chemical Toxicology*, vol. 47, no. 9, pp. 2196-2201.

Vongsak, B., Sithisarn, P. and Gritsanapan, W. (2014). Simultaneous HPLC quantitative analysis of active compounds in leaves of *Moringa oleifera* Lam. *Journal of Chromatographic Science*, vol. 52, no. 7, pp. 641-645.



4

भारत में धर्म निरपेक्षता का महत्व

डॉ एस० समी हैदर रिजवी एम०ए०, एम०एस०डब्ल्यू०, पीएच०डी०

ISSN: 2348-1390

सारांशः

प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत में धर्मिनरपेक्षता क्या है, और नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है तथा संविधान की धर्मिनरपेक्षता से सम्बंधित जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है। संविधान का निर्माण इसिलए किया गया है तािक देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी तंत्र संविधान के अनुसार चलाया जा सके और किसी भी प्रकार से इसी धर्म या जाित का शोषण न किया जा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की सभी महान हसितयों ने धर्मिनरपेक्षता को परिभाषित करते हुए अपनी-अपनी राय प्रस्तुत की है, जिसे नकारना सरकारों के लिए बहुत आसान न होगा। संविधान ने धर्म के विषय में अपना मत रखने की अनुमति नहीं दी है। सरकार को सदैव ही धर्म से दूरी बना कर रखने का प्रावधान संविधान में रखा गया है, क्योंकि यदि सरकार धर्म के विषय में हस्तक्षेप करेगी तो इसके परिणाम नागरिकों के लिए सदैव ही हानिकारक होंगे। संविधान में धर्मिनरपेक्षता के विषय में तीन बाते मुख्य है जैसे— कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को दुर्बल समझकर न दबाए, राज्य किसी खास धर्म को किसी भी व्यक्ति पर न तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। संविधान के अनुच्छेद 14, 15,16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 44 में धर्मिनरपेक्षता के विषय में बाते बताई गई हैं। जिसका पालन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए तािक एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण हो सके, और देश दो गुनी तफतार से आगे बढ़ सके।

प्रस्तावनाः

धर्मनिरपेक्षताः

भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक धर्मों के अनुयाई एक साथ निवास करते है और बहुत सारी विभिन्नाओं जैसे खान—पान, वेश—भूषा, तथा विभिन्न रंगो—भेदों के बाद भी एक दूसरे के प्रति एकता और स्नेह का भाव रखते हैं और यही सुन्दरता सम्पूर्ण विश्व में भारत को एक अलग देश का दर्जा देती है। भारत का संविधान प्रत्येक देशवासी को अपनी इच्छानुसार अपने त्योहार मनाने, धर्म को मानने, खाना—खाने, कपडे पहनने, विवाह करने, घर का निर्माण करने, शिक्षा ग्रहण करने, वोट देने का अधिकार देता है। उपरोक्त सभी बातें एक शब्द द्वारा ही सम्भव हो सकी जिसे संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' कहते हैं।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ:

धर्म का अर्थ है 'मान्यता' और वही मान्यता जो लोगों द्वारा मानी जाती है और निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी चीज का पक्ष न लेना। यदि कोई राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। भारतीय संविधान में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी धर्मों को मान्यता दी है। भारतीय इतिहास के अनुसार, धर्म का यहाँ की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के विचार विमर्श में स्वतंत्रता के लिए शायद ही धर्मनिरपेक्षता की बहस का मुद्दा बनाया गया हो। कई देशों के संविधान को पढ़कर भारत का संविधान बनाने के पीछे केवल यही मकसद रहा होगा कि अन्य देशों की तरह कही भारतीय

संविधान में कोई त्रुटी शेष न रह जाये जिससे किसी भी भारतीय नागरिक का हनन हो, क्योंकि, प्रत्येक धर्म के अनुयाययों को संविधान द्वारा स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना किसी धार्मिक

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाः

धर्मनिरपेक्षता मनुष्य को अलौकिक और दैवीय शक्तियों पर आश्रित रहने के स्थान पर पूर्ण तथा आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देकर उसके वैयक्तिक और सामाजिक कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है अध्यात्मवाद को अस्वीकार ये सिद्वान्त नैतिकता को धर्म से पूर्णत्या स्वतंत्र मानता है। "धर्म तथा अध्यात्मवाद के विपरीत, धर्मनिरपेक्षता मनुष्य की अपनी

सर्वागीण प्रकृति के लिए पूर्णतः स्वावलम्बी बनाने की प्रेरण प्रदान करता है''।

भेद-भाव के भारत में अनेक धर्मी के लोग एक साथ निवास करते है।

धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएँ:

धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए एक समाजशास्त्री विद्वान विलबर्ट मूर लिखते है कि ''मानवीय कार्यो में धर्म की भूमिका के सम्बन्ध में तार्किक भाव द्वारा स्थान ग्रहण करना अर्थात धार्मिक विश्वासों तथा क्रियाओं के स्थान पर गैर—धार्मिक विश्वासों और क्रियाओं द्वारा लेना ही धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाता है''2।

इसी विषय में दूसरे समाजशास्त्री डॉ एस एन श्रीनिवास ने लिखा कि ''धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द में ये बात निहित है कि उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया निहित है। जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जाते हैं ''3।

धर्मनिरपेक्षता पर 'राजा राम मोहन राय' ने अपना विचार रखा "हिन्दू धर्म ग्रंथां, और ब्रहमण ज्ञान और इस्लाम के ऐकेश्वरवाद ने उनके विचारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई"⁴।

'स्वामी दयानंद' ने धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार प्रस्तुत किया और कहा "उन्होने अपने अनेक ग्रंथों तथा वेदभाष्य में धर्म शब्द का प्रयोग धर्मपरायणता, सदगुण तथा कर्तव्य पालन के अर्थ में किया है"⁵।

राष्ट्रिपिता 'महात्मा गांधी जी' ने धर्मिनरपेक्षता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "मैं वेदों के एकमात्र देवत्व में विश्वास नहीं करता बल्कि मै बाइबिल, कुरआन और जेन्द अवस्ता को भी उतना ही दैवी प्ररणा युक्त मानता हूँ जितना वेदों को"⁶।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हे कि धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय व्यवहार की व्याख्या धर्म के आधार पर नहीं वरन तार्किक आधार पर की जाती है, घटनाओं को कार्य—कारण के आधार पर समझा जाता है और दैनिक जीवन में धर्म का प्रभाव कम होता जाता है।

धर्मनिरपेक्षता का इतिहासः

सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता, पंतनिरपेक्षता या सकुलेरिज़म तीनो एक ही नाम है, जिसका प्रयोग ब्रिटेन के बर्मिघम शहर के जॉर्ज जेकब हॉलीयाक ने 1846 में किया था। उन्होने यह सोचकर धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया कि जिससे मनुष्य जीवन के तौर—तरीकों को बेहतर बनाया जा सके। जॉर्ज जेकब हॉलीयाक के अनुसार ''आस्तिकता, नास्तिकता और धर्म ग्रंथों में उल्झे बिना मनुष्य के शरीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्विक स्वभाव को उच्चतम संभावित बिन्दू तक विकसित करने के लिए प्रतिपादित ज्ञान और सेवा ही धर्मनिरपेक्षता है"।

धर्मनिरपेक्षता का अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाता है बिल्क बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करता है। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय को अपने धर्मिक विश्वासों और तौर—तरीकों को अपनाने की पूरी आजादी देता है। सबके लिए समान धर्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं।

क्यों धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए?:

धर्म को राज्य से अलग रहना चाहिए इनके पीछे कुछ बाते महत्वपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत आवश्यक होता है। सामान्यतः संसार के लगभग सभी देशों में एक से अधिक धर्मों के लोग एक साथ रहते है परन्तु हर देश में किसी एक धर्म के अनुयाईयों की संख्या अधिक होती है। अब यदि बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुँच जाये तो उसका समूह दूसरे धर्मों के विरुद्ध भेद—भाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों को प्रयोग कर सकता है। बहुमत के धर्म के लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ भेद—भाव हो सकता है। यहाँ तक की उसकी हत्या या नरसंहार भी हो सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेद—भाव उन अधिकारों का उल्लंघन है, जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने का अधिकार अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है।

प्रजातंत्र में समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक और कारण महत्वपूर्ण है। हमें व्यक्तियों के धार्मिक चुनाव के अधिकार को भी सूरक्षित करना होता है। देश के किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से निकलने और दूसरा धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, संभव है कि आपको हिन्दुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका अर्थ है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेगे, परन्तु यदि राज्य की सत्ता ऐसे हिन्दुओं के हाथ में हो जो छुवाछूत की प्रथा को मानते हैं तो क्या आप इस प्रथा को असानी से बदल पाएगे? यदि आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य भी हैं तो भी आपको अपने समुदाय के लोगों द्वारा भारी विरोध झेलना पड सकता है। इसलिए राज्य सत्ता पा नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेगे कि हिन्दुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उनकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हे कोई अधिकार नहीं है। इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखा गया है।

धर्मनिरपेक्षता का सारः

भारतीय संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्षता राज्य ही अपने उददेश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगे।

- 1 कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए।
- 2 कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को दुर्बल समझकर न दबाए।
- 3 राज्य किसी खास धर्म को किसी व्यक्ति पर न तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा।

धर्मनिरपेक्षता के विषय में भारतीय संविधान के नियम:

डॉ भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है क्योंकि संविधान को बनाने के लिए डॉ अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और फिर दस देशों के संविधान को मिलाकर भारत के संविधान का रूप दिया। संविधान का मूल आधान भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही माना जाता है। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतंत्र में सबसे लम्बा लिखित संविधान है जिसमें 251 पेज और वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ है और इन्हे 25 भागों में विभाजित किया गया है। इसे पांडुलिपि (मैनुस्क्रिप्ट) 16722 इंच के पार्चमेट कागज पर लिखी गई है जिसका जीवन काल लगभग 1000 वर्ष माना जाती है। संविधान सभा में 299 सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता डॉ राजेन्द्र प्रसाद कर रहे थे। भारतीय संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे अर्थात 26 नवम्बर 1949 तक संविधान सभा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था और फिर इसे पारित कर के 26 जनवरी 1950 को देश में लागू कर दिया गया। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्रदिवस के रूप में मनाया जाता है।

सन 1976 में 42वे संविधान संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ा गया, परन्तु पन्थनिरपेक्ष शब्द संविधान में किसी अन्य भाग में नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद है जिसके आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते है—

- भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को यह विश्वास दिलाया है कि धर्म के आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का भेद—भाव नहीं किया जायेगा।
- भारतीय संविधान में भारत राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं है और न ही राज्य किसी खास धर्म का समर्थन करेगा।
- अनुच्छेद 14 से 18 तक यह बताया गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान होगें तथा जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेद—भाव नहीं किया जायेगा और सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है।
- अनुच्छेद 25 में प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक विश्वासो और सिद्वान्तों का प्रचार—प्रसार करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 26 में भारतीय नागरिकों को उनके धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 27 में भारतीय नागरिकों को उनके धार्मिक संस्थाओं की स्थापना या पोषण के लिए राज्य को किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
- "अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं मे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान है। यह भाईचारा और 'एकता में अनेकता' के सिद्वान्त पर आधारित है और उसी में सृजनशीलता के गुण विद्यमान है"⁸।
- संविधान द्वारा धार्मिक कार्यो के लिए किये जाने वाले व्यय को कर-मुक्त घोषित किया गया है।
- अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं उनका प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है।

• अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि भारत अपने सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा।

ISSN: 2348-1390

धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियाँः

भारत में सदैव से ही धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा सार्वजनिक वाद—विवाद और परिचर्चाओं में मौजूद रहा है एक ओर जहाँ प्रत्येक राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करते है वहीं धर्मनिरपेक्षता के सन्दर्भ में कुछ पेचीदा मामले सदैव ही चर्चाओं में बने रहते है जो समय—समय पर अनेक प्रकार की चिन्ताओं के साथ धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करते रहे है जैसे—

- वर्ष 1989 में भागलपुर (बिहार) के 250 गांवों और शहर में दंगे हुए जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गये जिसमें 900 मुसलमान थे।
- ➤ 1990 में गोण्डा जिले के कर्नलगंज में दंगे हुए जिसमे हजारों मुस्लमान अपनी जान से हाथ धो बैठे।
- 🗲 वर्ष 1984 के दंगों में दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सो में 2700 सिख मारे गये।
- ➤ वर्ष 1990 में हजारों कश्मीरी पण्डितों को घाटी में अपना घर के साथ–साथ जान का भी नुकसान उठाना पडा।
- ➤ वर्ष 1992—93 के मुम्बई दंगे, जिसमें हजारों हिन्दू, मुस्लमान और ईसाई धर्म के लोग मारे गये।
- ➤ वर्ष 2003 में गुजरात के दंगे जिसमें मुस्लिम समुदाये के लगभग एक हजार से अधिक लोग मारे गये।
- गौ-हत्या रोकने की आड में धार्मिक और नसलीय हमले आये दिन देश में देखने को मिलते हैं जिसमें अधिकतर दिलत वर्ग और मुस्लिम समुदाये के लोगो की हत्या कर दी जाती है।
- > नागरिकता संशोधन नियम (सी०ए०ए०) तथा 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल' के खिलाफ देश भर में उत्पन्न विरोध एवं हिंसा हुई जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गये।

निष्कर्षः

धर्मनिरपेक्षता इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है इसको बचाना प्रत्येक सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए क्योंकि सरकारें संविधान से चलाई जाती है। इसके सन्दर्भ में कुछ बिन्दू निम्नलिखित है—

- ❖ धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा संविधान की सुरक्षा है जिसे सरकारों द्वारा सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि, यह धर्मनिरपेक्षता केवल एक शब्द मात्र भर नहीं है बल्कि यह संविधान का आत्मा है।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1994 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें कहा गया था कि यदि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जायेगा, इसीलिए सभी सत्ताधारी दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है।
- ❖ भारत के सभी जनप्रतिनिधियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी जाति विशेष को अपने वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।
- ❖ देश के धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुँचाने वाले प्रत्येक संगठन को प्रतिबंधित किया जाना अनिवार्य है। एैसे संगठनों से राष्ट्र की एकता और अन्तराष्ट्रीय छवी खराब होने का खतरा बना रहता है।

- ❖ गौ—रक्षा के नाम पर प्रतिदिन की जाने वाली हिंसा को सरकार द्वारा रोका जाना चाहिए ताकि भारत की धर्मनिरपेक्षता किसी भी दशा में खतरे में न आये तथा लोग कानून को अपना काम करने दें, कानून को अपने हाथ की कठपूत्ली न बनायें।
- देश की राज्य व केन्द्र की सरकार को चाहिए कि भारत की एकता और अखण्डता को प्रभावित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या संगठन पर तुरन्त कार्यवाही की जाये, तािक भविष्य में किसी अन्य संगठन द्वारा इस प्रकार का देश विरोधी कार्य न होने पाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर सरकारों द्वारा कडाई से पालन किये जाने का आवश्यकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया असंवैधानिक कार्य सम्पूर्ण देश को विश्व स्तर पर प्रभावित कर दूसरे देशों की सरकारों की नजर में भारत देश की छवि धुमिल करता है और इसी असंवैधानिक कार्यों से भारत देश को आर्थिक हानि भी होती है क्योंिक विदेशी कम्पनियाँ देश में निवेश करने से बचने लगती हैं और जो विदेशी कम्पंनिया देश में पहले से ही कार्य कर रही है वे कम्पनियाँ अपने काम को समेटकर किसी दूसरे देश की तरह रूख करने लगती है। यह हमारा भारत देश बहुत सुन्दर है इसकी पहचान विश्व भर में एकता और शान्ति की रही है इसे प्रत्येक नागरिक को बरकरार रखने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

- 1. डा० प्रकाश मणि त्रिपाठी, राजनीति अवधारणायें एवं प्रवृत्तियाँ, मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी पृ० स० ८६
- 2. एस के ओझा, समाजशास्त्र, अरिहन्त पब्लिकेशनस इण्डिया लिमिटेड, दरिया बाद, नई दिल्ली 2012, पृ० स० 443
- 3. एस के ओझा, समाजशास्त्र, अरिहन्त पब्लिकेशनस इण्डिया लिमिटेड, दरिया बाद, नई दिल्ली 2012, पृ० स० 443
- रामानन्द चटर्जी, राजा राम मोहन राय एवं माडर्न इण्डिया, पृ० स० 17
- 5. डा० शान्ता मलहोत्रा, स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचार, के0के0 पब्लिकेशन, पृ० स० 99
- रोम्या रोला, महात्मा गांधी, लंदन, 1924, फुटनोट पृ० स0 28
- 7- Feldman & Noah, Divided by God Farrar, Straus & Giroux, 2005, Page No. 113
- 8. एलेन एण्ड अनविन, रिकवरी ऑफ फेथ, 1956, पृ० स० 202



5

व्यवसायिक संगठनों द्वारा कार्यरत कर्मचारी हेतु शिक्षा के प्रति दायित्व प्रयास रणनीति एवं प्रभाव

विनोद कुमार कश्यप,

पीएचडी (शोध छात्र)

मार्गदर्शक डॉ. उषा बख्शी

शिक्षा शास्त्र विभाग कलिंगा यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश: आधुनिक युग में किसी राष्ट्र की उन्नित के लिए उसके व्यवसाय मार्ग का विकसित, आधुनिक विचार, बदलती पिरिस्थितियों के अनुरूप ढाल कर ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है I व्यवसाय की प्रत्येक अंग को सुचारु रूप से नवाचार कर राष्ट्र तथा व्यवसाय दोनों का विकास कर सकते हैं I व्यवसाय संगठन में सबसे महत्वपूर्ण उनमें कार्य करने वाले उनके कर्मचारी होते हैं I कर्मचारियों के ही कारण किसी व्यवसाय की सफलता तथा असफलता निश्चित होती है I अगर व्यवसाय का प्रत्येक कर्मचारी शिक्षित,प्रशिक्षित, आधुनिक विचारों वाला, संगठन के प्रति वफादार हो तो वह संगठन उन्नित के शिखर पर पहुंच जाता है I

आज के दौर में प्रत्येक व्यवसाय संगठन अपने कर्मचारियों को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए समय-समय पर कार्यशाला, सेमिनार, उच्च शिक्षा के लिए वैतनिक अवकाश, विदेश में जाकर पढ़ने की सुविधाये, सेमिनार, आदि भी संगठन द्वारा किया जाता है I कर्मचारियों को तैयार करने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिकता व सार्वजिनक उद्देश्य के महत्व भी होना चाहिए, किसी विशेष तरीके से कार्य करने की शिक्षा को भी कर्मचारियों को प्रदान की जानी चाहिए, तािक वह किसी विशेष कार्य तथा तकनीकी कार्य को बहुत ही आसािनी से संपादित कर सकें I

निसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है ,लेकिन कर्मचारियों की शिक्षा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है व्यवसाय संगठन तथा उनके कर्मचारी भारत के विकास के लिए एक आवश्यक स्तंभ है एसोचैम के अध्ययन के अनुसार भारत में 2025 तक 40 मिलियन शिक्षित-प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होगी I

व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों की शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सिम्मिलित कर सकते हैं I जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी कार्य को करने में दक्षता या सार्थक बना सके I उसे जो भी शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाता है I उससे वह अपना कार्य सही प्रकार से करके अपना तथा अपने व्यवसाय का समय, धन, कम लागत तथा अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें I

नई शिक्षा नीति में कर्मचारियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने हेतु व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी अपनी क्षमता के अनुसार सत-प्रतिशत व्यवसाय संगठन तथा राष्ट्र के सफलता में अपना योगदान कर सकें I

कर्मचारियों हेतु शिक्षा के प्रति दायित्व प्रयास:

व्यवसायिक संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों की शिक्षा का दायित्व सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है I व्यवसाय संगठन जब अपने कर्मचारियों को सही रूप से शिक्षित व प्रशिक्षित कर देगा तो वह अपने कर्मचारियों से शत-प्रतिशत कार्य करा सकता है I

व्यवसायिक संगठनों को चाहिए कि वह ऐसा वातावरण तैयार करें कि प्रत्येक कर्मचारी कार्य के साथ-साथ वह नवीन तथ्यों को भी सीख सकें I परिवर्तन समय तथा प्रक्रित का नियम है I यह आवश्यक नहीं है कि जो आज सभी के लिए अनुकूल हो, वह आगे चलकर सभी के लिए अनुकूल हो इसलिए संगठन को चाहिए कि वह बाजार तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर सके ताकि वह भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके I

- व्यवसाय संगठनों को चाहिए कि अपने कर्मचारियों को समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला,सेमिनार,प्रोजेक्ट पर समझाना आदि कराते रहना चाहिए I
- समय के साथ वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन होता रहता है इसलिए व्यवसाय संगठन को चाहिए कि वह भी वस्तुओं की मांग के हिसाब से अपने कर्मचारियों को पहले से ही तैयार कर सकें I
- तकनीकी के क्षेत्र में अब जल्द से जल्द बदलाव होते जा रहे हैं I जो व्यवसाय संगठन उन नई-नई तकनीकों को अपनाकर अपने कर्मचारियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर लेता है वह दुनिया में आगे निकल जाता है I
- व्यवसाय संगठनों को चाहिए कि जो भी कर्मचारी अगर विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है I तो उसे वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए I
- जहां पर कर्मचारी कार्य करते हैं वहां पर संगठन का दायित्व होता है कि वह कर्मचारियों कि जो भी कार्य संबंधी समस्या होती है उसे शिक्षित प्रशिक्षित कर्मचारियों से समाधान करा सके I
- व्यवसाय संगठन का यह प्रयास रहना चाहिए कि उसे अपने कर्मचारियों से सत-प्रतिशत कार्य चाहिए तो उनकी प्रत्येक समस्याओं का हल निकाल देना चाहिए I
- कर्मचारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण को ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारी उनमें मन लगाकर शिक्षण एवं प्रशिक्षण ले सके जिससे वह नई शिक्षा ग्रहण कर सके I
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारियों को लगना चाहिए कि वह अगर शिक्षण प्रशिक्षण लेते हैं तो उन्हें
 भविष्य में उससे लाभ प्राप्त होगा ।
- कर्मचारियों को शिक्षण-प्रशिक्षण इस प्रकार का देना चाहिए अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कर्मचारी स्वयं उसका समाधान निकाल सके I
- विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में जल्द से जल्द बदलाव होते हैं इसलिए संगठन को चाहिए कि वह भी जल्द से जल्द उन तकनीकी को अपने कर्मचारियों को प्रदान कर सकें I
- कर्मचारी के शिक्षा प्रशिक्षण के साथ-साथ उनमें तर्कशक्ति, निर्णय, क्षमता आदि की भी शिक्षा देनी चाहिए I

कर्मचारियों की शिक्षा हेतु रणनीति:

व्यवसाय संगठनों को अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने हेतु एक विशेष प्रकार की रणनीति बनाई जानी चाहिए I इस रणनीति के आधार पर ही प्रत्येक कर्मचारियों की उनकी आवश्यकता, सोच-समझ, योगिता,बुद्धिमत्ता आदि के आधार पर ही उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जा सकता है I

कर्मचारियों की शिक्षा की रणनीति बनाते समय संगठन को अपने ग्राहकों का, मांग-पूर्ति का, भविष्य को ध्यान, स्थान आदि का ध्यान रखते हुए उन्हें शिक्षा देनी चाहिए कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिए निम्न रणनीति बनानी चाहिए:-

सेमिनार:- सेमिनार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है I सेमिनार की सहायता से संगठन अपने कर्मचारियों को कम समय में अधिक शिक्षित कर सकता है I सेमिनार में एक से बढ़कर एक विद्वान आते हैं, जो कर्मचारियों के अंदर उनकी किमयों को बताकर उन्हें सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है I सेमिनार में किसी एक विषय पर चर्चा की जाती है जिस पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाता है I

कार्यशाला:- कार्यशाला में व्यवहारिक रूप से तथा प्रयोजन वादियों के प्रयास के फलस्वरूप विकसित किया जाता है I कर्मचारियों को कार्यशाला के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है I व्यवसाय जगत की कठिन से कठिन समस्याओं को समाधान एवं उनसे संबंधित नीतियों का निर्धारण करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाता है I

शिक्षित-प्रशिक्षित ट्रेनर की नियुक्ति:- व्यवसायिक संगठनों को चाहिए कि वह अपने संगठन में एक शिक्षित प्रशिक्षित ट्रेनर की विनती करनी चाहिए ताकि ट्रेनर की देख-रेख में कर्मचारी सही ढंग से अपना शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर सकें.

कर्मचारियों की शिक्षा प्राप्त होने से पड़ने वाले प्रभाव

व्यवसाय संगठन में कार्यरत कर्मचारी जो उचित ढंग से शिक्षित एवं प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो वह सिर्फ अपना विकास ही नहीं करते हैं, बल्कि व्यवसाय-संगठन,समाज,देश-विदेश,मानव सभ्यता का भी विकास करते हैं I शिक्षा एक ऐसी कुंजी होती है, जिससे कर्मचारी अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोज लेता है I जो कर्मचारी शिक्षा प्राप्त करने से पहले अपूर्ण होता है I वह शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पूर्ण हो जाता है I

कर्मचारियों पर प्रभाव:- शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कर्मचारी अपना शत प्रतिशत योगदान देता है I वह उचित शिक्षा से सही समय पर सही तरीके से अपना कार्य पूर्ण करता है I सही कार्य होने पर कर्मचारी का विकास होने के साथ-साथ व्यवसाय संगठन का भी विकास होता है I

व्यवसायिक संगठन पर प्रभाव:- अगर संगठन में कार्यरत कर्मचारी शिक्षित-प्रशिक्षित होता है, तो वह अपना कार्य सही ढंग से करता है I जिससे संगठन का समय,धन,अपव्यय आदि की बचत होती है, तथा संगठन की ख्याति में भी वृद्धि होती है I

समाज पर प्रभाव:- कर्मचारी व्यवसाय संगठन के साथ-साथ समाज का भी अंग होता है I जब कर्मचारी की उन्नित होती है, तो व्यवसाय संगठन के साथ-साथ समाज की भी उन्नित होती है I समाज में रहकर ही कर्मचारी सभ्य तथा विकसित प्रवृत्ति का होता है I

ISSN: 2348-1390

देश पर प्रभाव;- कर्मचारियों के शिक्षित प्रशिक्षित होने पर सबसे अधिक लाभ देश को होता है I जहां एक तरफ तो कर्मचारी अपने कार्य से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है, तो दूसरी तरफ शिक्षित समाज का भी निर्माण होता है तथा व्यवसायिक संगठन की प्रत्येक स्तर पर विकास से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है I

मानव सभ्यता का विकास:- इसमें दो राय नहीं है कि शिक्षा से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है I असभ्य मानव सभ्यता से सभ्य मानव सभ्यता का विकास शिक्षा के द्वारा ही हुआ है I इस प्रकार हम कह सकते हैं कर्मचारी जितना शिक्षित होगा मानव सभ्यता का विकास भी उतनी तेजी से होगा I

निष्कर्ष:- आधुनिक समाज परिस्पर्धा का है, जो इस परिस्पर्धा में तेज निकल 9जाएगा, वह अपना तथा अपने समाज का विकास तेजी से कर सकता है I शिक्षा ही एक मात्र ऐसा हथियार है, जो इस परिस्पर्धा रूपी जंग में शिक्षा से ही विजय प्राप्त कर सकता हैं I

आज के दौर में व्यवसाय की उन्नित से ही मानव,समाज तथा राष्ट्र का विकास कर सकते हैं I जिस राष्ट्र के व्यवसायिक संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी जितने शिक्षित होंगे, वह व्यवसाय संगठन तथा राष्ट्र उतनी ही तेजी से उन्नित कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यवसायिक संगठन को चाहिए कि वह अपने संगठन में कार्य प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षित करें, तािक प्रत्येक कर्मचारी अपना शत-प्रतिशत देकर संगठन तथा राष्ट्र की उन्नित में योगदान कर सकें I

संदर्भ सूची

- 1- https://www.google.com/amp/s/www.orfonline.org/hindi/research/putting-vocational-education-centre-stage-in-the-implementation-of-nep-2020/
- 2- https://pmmodiyojana.in/national-education-polic
- 3- https://www.shikshaniti.com/2020/08/new-design-of-vocational-education.html?m=1#google vignette
- 4- https://www.google.com/amp/s/www.franchiseindia.com/amp/hi/education/vocational-education-and-training.9416
 https://sstmaster.com/vocational-education-hindi/
- 5- https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/hindi/india-53581084.amp
- 6- https://www.readermaster.com/new-national-education-policy/
- 7- https://www.google.com/amp/s/www.franchiseindia.com/amp/hi/education/vocational-education-and-training.9416
- 8- https://thehindipage.com/indian-education/bhartiya-shiksha-ka-itihaas-aur-vartamaan/

6.

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का हिन्दी-भाषा विषयक दृष्टिकोण

मुकेश कुमार जाटव

(शोधार्थी)

महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) (शासकीय स्वशासी उत्कृष्ट महाविद्यालय)

डॉ. पुष्पलता सिंह ठाकुर

(सह प्राध्यापक, हिन्दी) महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) (शासकीय स्वशासी उत्कृष्ट महाविद्यालय)

बीसवीं सदी का आरंभिक काल राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का युग था। कांग्रेस की उदारवादी नीति के विरूद्ध बाल गंगाधर तिलक की उग्र राजनैतिक विचारधारा तथा बंगाल विभाजन के विरूद्ध स्वदेशी आंदोलन से जन-साधारण में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिससे स्वाधीनता आंदोलन को अधिक बल मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टकोण के विकास से हिन्दू धर्म में प्राचीन काल से व्याप्त कुरीतियों के विरूद्ध आवाज तेज हो रही थी अर्थात नवजागरण और जन-जागरूकता की आवाज संपूर्ण देश में बुलंद हो रही थी। किन्तु भाषायी समरूपता के अभाव में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में कठिनाई हो रही थी। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्वप्रथम भाषा विषयक दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए एक राष्ट्र की एक भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया। जिसके परिणास्वरूप भारत की आजादी के बाद 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संसद ने भारत की राजभाषा के रूप हिन्दी को मान्यता दे दी तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित व्यवस्था कर दी गई। किन्तु संकुचित क्षेत्रवाद एवं राजनैतिक कारणों से हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है।

की-वर्डः- लोकमान्य, तिलक, हिन्दीभाषा, दृष्टिकोण, राष्ट्रभाषा।

बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जलाई, 1856 को हुआ था। तिलक की माता का नाम पार्वती बाई तथा पिता का नाम गंगाधर राव था। लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक मामलों में सिक्रयता से कार्य किया; इसके साथ ही, वह देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को, मान्यता दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। लोकमान्य तिलक एक राष्ट्रवादी नेता थे; इस नाते वह एक राष्ट्र के निमित्त, एक भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा के पक्ष में हमेशा बने रहे। वह इस तथ्य से भलीभाँति परिचित थे कि देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए देश के लोगों में परस्पर विचारों का आदान-प्रदान आवश्यक है; जिसके लिए देश की एक राष्ट्रभाषा जरूरी है। लोकमान्य तिलक मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे; तथापि, उन्होंने हमेशा राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा का ही समर्थन किया। क्योंकि, देश की सभी भाषाओं में हिन्दी ही, एकमात्र ऐसी भाषा है; जो राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होकर समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर सकती है।

1900 ई. के बाद तिलक को राष्ट्रीय नेता के रूप में यह महसूस होने लगा था कि पश्चिमी शिक्षा के द्वारा, भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों की अनुचित व्याख्या की जा रही है, जिससे देश की अधिकांश जनता अपने पूर्वजों के आदर्शों, नैतिक

_

 $^{^{1}}$. सिद्धनाथ माधव लोंढे, तिलक चरित्र, धोंडों काशीनाथ फड़के, अरूणोदय प्रेस, ठाणें, मुंबई, 1927, पृष्ठ क्रमांक 22

शिक्षा तथा परंपरागत संस्कारों से दूर होती जा रही है। अतएव, लोकमान्य तिलक ने प्राचीन धर्मग्रंथों तथा भारतीय संस्कृति की महत्वता को जन-जन तक पुहँचाने के लिए, देश के जन-साधारण में हमारे मूल्यों एवं आदर्शों की जो क्षति हुई है; उसको भरने के लिए अंग्रेजी शिक्षा तथा भाषा का कठोरता पूर्वक विरोध किया; साथ ही, देश में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रांतीय भाषाओं को उपयुक्त मानते हुए संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की आवाज बुलंद की।

1905 ई. में लार्ड कर्जन, प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर बंगाल विभाजन प्रस्ताव लेकर आया, जिसका विरोध सर्वप्रथम बंगाल में प्रारंभ हुआ। वहीं, लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उग्रवादी नेताओं के द्वारा महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ; जिसके अंतर्गत स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों को शामिल किया गया था। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में प्रस्तुत किया; जिसका उद्देश्य था- स्वेदशी आंदोलन को कांग्रेस के मंच से औपचारिक स्वीकृति दिलाकर, आंदोलन को संपूर्ण देश में जन-जन तक पहुँचाना। अस्तु, उदारवादी नेताओं के विरोध के बावजूद, तिलक समर्थक स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को, कांग्रेस के मंच से पास कराने में सफल रहे।² चूँकि पेपर का विषय लोकमान्य तिलक के भाषा विषयक दृष्टिकोण तक सीमित है; इसीलिए यहाँ तिलक के स्वराज हेतु राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के बारे में ही जानेंगे।

वर्तमान भारत में जो शिक्षा व्यवस्था की पद्धित अपनाई जा रही है, वह पूर्णतः पश्चिमी सभ्यता तथा संस्कृति से ओत-प्रोत है। इस शिक्षा से भारतीयों में स्वाभिमान की भावना का ह्रास हो रहा है। साथ ही, वे अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति के मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं; जिसका येन-केन-प्रकरेण दूरगामी फायदा ब्रिटिश सरकार को होगा, वहीं, भारतीयों को आजादी के लिए और इंतजार करना होगा। इसलिए, लोकमान्य तिलक अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर, एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना करना चाह रहे थे; जिसमें भारतीय संस्कृति तथा देशभक्ति की विचारधारा का समावेश हो। साथ ही, संपूर्ण भारत में, विशेषकर गाँवों में ऐसे स्कूलों की स्थापना की जाए, जो भारतीय सामाजिक मूल्यों व नैतिक आदर्शों पर आधारित हों। इन स्कूलों में हिन्दुओं को हिन्दू धर्म-ग्रंथों के बारे में, मुसलमानों को इस्लाम धर्म के बारे में देशी भाषाओं में शिक्षा दी जाए; जिससे विद्यार्थियों में अपने धर्म, संस्कृति और इतिहास पर गौरव हो। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा से देश के लोगों में, देश-प्रेम व राष्ट्रवाद की भावना का संचार होगा। फलस्वरूप, समस्त देश-वासी जातिगत भेदभाव तथा धार्मिक संकीर्णता के रास्ते को छोड़, एकता के सूत्र में बंधकर, विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ने को तैयार होंगे। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रांतों में प्रांतीय भाषाओं तथा देवनागरी लिपि का समर्थन किया। वहीं, संपूर्ण राष्ट्र में राजनैतिक स्वराज तथा सामाजिक अधिकारों के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को महत्वपूर्ण माना।3

वर्ष 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा की कॉन्फ्रेंस रमेशचंद्र दत्त के सभापितत्व में आयोजित की गई थी; जिसमें बाल गंगाधर तिलक के साथ अन्य नेता भी शामिल हुए थे। सभा में लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रभाषा तथा सर्वमान्य लिपि पर जो वक्तव्य दिया था।⁴ उसका संक्षिप्त सार है-

लोकमान्य तिलक ने सभा में बोलते हुए सर्वप्रथम, सर्वमान्य लिपि तथा भाषा के विषय को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिभाषित किया। लोकमान्य तिलक ने स्पष्ट कर दिया था कि भाषायी आंदोलन, समस्त भारतीयों में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रवादी भावना का संचार करेगा; और तभी हम विदेशी ताकतों का सामना दृढ़ता-पूर्वक कर पाएंगे। इसलिए यह आंदोलन उत्तर भारत या किसी प्रांत विशेष तक सीमित न होकर, संपूर्ण राष्ट्र के लिए है। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण राष्ट्र के लोग एक दूसरे के विचारों, हितों तथा समस्यायों से अवगत हों, और यह तभी संभव

 $^{^{2}}$. बिपिन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2013, पृष्ठ क्रमांक 116

 $^{^3}$. डॉ.बी.आर.पुरोहित, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2019, पृष्ठ क्रमांक 126

 $^{^4}$. विनायक सीताराम सरवठे, लोकमान्य तिलक जीवन चरित्र, हिन्दी साहित्य मंदिर, इंदौर 1920, पृष्ठ क्रमांक 108

हो सकेगा, जब किसी राष्ट्र की एक सर्वमान्य भाषा होगी। अतएव, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, हमें हिन्दी को सर्वमान्य भाषा के रूप में स्थापित करना चाहिए। क्योंकि सर्वमान्य भाषा हेतु, भारत में हिन्दी भाषा के समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है।⁵

नागरी प्रचारणी सभा में लोकमान्य तिलक के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि को सर्वमान्य लिपि के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इस सभा के पश्चात, लोकमान्य तिलक का हिन्दी भाषा विषयक दृष्टिकोण स्पष्ट होता चला गया, अब वह राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिन्दी भाषा की महत्वता तथा भाषाई समस्याओं से लोगों को अवगत कराने लगे। इसके साथ ही, उन्होंने स्वेदशी तथा भाषाई आंदोलन को जन-जन तक पुहँचाने के लिए केसरी व मराठा समाचार पत्रों के पृथक हिन्दी विभाग स्थापित किए।

स्वदेशी तथा भाषाई आंदोलन के प्रचार-प्रसार से लोकमान्य तिलक आमजन के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके थे। तिलक की बढ़ती लोकप्रियता के कारण, मराठा तथा केसरी समाचार पत्रों की माँग में कई गुना वृद्धि हो गई थी। इससे प्रोत्साहित होकर लोकमान्य तिलक के शुभचिंतकों तथा समर्थकों ने, उनको सलाह दी कि केसरी समाचार पत्र का प्रांतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाए, जिससे संबंधित भाषा-भाषी क्षेत्रो के लोग देश की यथार्थ समस्यायों से अवगत हो सकें। लोकमान्य तिलक समाज-सुधारक तथा राजनेता होने के साथ-साथ एक योग्य तथा दूरदर्शी पत्रकार भी थे। उन्होंने पत्रों के अनुवाद की बात अस्वीकार करते हुए कहा कि पत्रकारिता का यथार्थ कार्य होता है कि वह जनता को उनके क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराए। इसी तथ्य को आधार बनाकर लोकमान्य तिलक ने केसरी पत्र का हिन्दी विभाग नागपुर में स्थापित किया। नागपुर केसरी हिन्दी विभाग का संपादक माधवराव सप्रे तथा काशी के विख्यात कोश रचयिता बाबू रामचंद्र वर्मा को बनाया गया और इन्हीं के संपादकत्व में वर्ष 1906 से पत्र प्रकाशित होने लगा। हिन्दी केसरी पत्र के माध्यम से लोकमान्य तिलक की राष्ट्रवादी तथा समन्वयवादी विचारधारा से हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के लोग परिचित हो रहे थे। वहीं, हिन्दी पत्रों के माध्यम से हिन्दी भाषा ने राष्ट्रभाषा बनने की ओर अपना एक और पड़ाव पार कर लिया था। धी।

हिन्दी केसरी पत्र के प्रकाशन से तिलक के पास अब हिन्दी भाषा-भाषी प्रेमियों के पत्र आने लगे थे; जिनमें मुख्यतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में मातृभाषा से संबंधित प्रश्नों की अधिकता रहती थी। तिलक उन सभी पत्रों के जबाव मराठा तथा केसरी में अपने लेखों, साक्षात्कार तथा भाषणों के माध्यम से देते थे। इसी प्रकार मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर जबाव देते हुए उन्होंने कहा था कि-

एक उन्नत मानवीय समाज का निर्माण भाषा, व्यवहार, विचार तथा कार्य के बीच एक उचित संतुलन पर निर्भर करता है। क्योंकि प्रत्येक अंग एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। एक की अवनति पर दूसरे की अवनति और एक की उन्नति पर दूसरी की उन्नति सुनिश्चित होती है। समाज के इन अंगों में भाषा सबसे महत्वपूर्ण अंग है; क्योंकि, शिशु अवस्था से ही मानव अपने व्यवहार, विचार तथा कार्य अपनी मातृभाषा के द्वारा ही प्रकट करता है। इसीलिए मानव अपनी मातृभाषा में निपुण हो जाता है। यदि, अब उसे मातृभाषा के अलावा किसी विदेशी भाषा में शिक्षा दी जाती है, तब उसके विचार, कार्य, व्यवहार सभी प्रभावित हो जाएंगे। जो कि किसी भी उन्नत समाज के लिए आत्मघाती है। तिलक ने स्वयं को रखकर कहा कि यदि मैं अंग्रेजी भाषा के स्थान पर अपनी मातृभाषा मराठी में शिक्षा प्राप्त करता, तो जो ज्ञान आज मुझे 52 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ है; वह 20 या 25 वर्ष में ही प्राप्त कर लेता। अर्थात किसी भी देश में उसके नागरिकों को किसी विदेशी भाषा में ज्ञान देना उसके जिंदगी के कई वर्ष नष्ट करने के बराबर है। अतः सरकारों का यह कर्तव्य है कि लोगों को उनकी मातृभाषा में ज्ञान दे, न कि विदेशी भाषा में।

 $^{^{5}}$. विनायक सीताराम सरवठे, लोकमान्य तिलक जीवन चरित्र, हिन्दी साहित्य मंदिर, इंदौर 1920, पृष्ठ क्रमांक 108

 $^{^{6}}$.वी.जी. देशपाण्डे, लोकमान्य तिलक चरित्र, नागरी प्रचारिणी सभा, वर्धा, पृष्ठ क्रमांक 31

 $^{^{7}}$.विश्व प्रकाश गुप्त, मोहनी गुप्त, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ क्रमांक 240

राष्ट्रभाषा विषय पर ही एक अन्य पत्र का जबाव देते हुए तिलक ने कहा- आज देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने हेतु, एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा देश के नागरिक अपने-अपने विचारों का परस्पर आदान-प्रदान कर सकें। अर्थात ऐसी भाषा जो सभी प्रांतों की भिन्न-भिन्न भाषा का प्रतिनिधित्व कर सके। यद्यपि ये सभी योग्यताएँ हिन्दी भाषा रखती है। इसीलिए हिन्दी ही वह भाषा है, जो राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी हैं। अगर हम सभी देशवासियों ने सामूहिक प्रयास किया, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश की भी राष्ट्रभाषा होगी।8

माण्डले जेल से मुक्त होने के बाद लोकमान्य तिलक, एनी बीसेन्ट द्वारा संचालित होमरूल आंदोलन से जुड़कर पुनः राजनीति में सिक्रय हो गए। लोकमान्य तिलक ने एक बार फिर पूर्ण आत्मिविश्वास के साथ, वर्ष 1908 में जेल जाने के बाद से अधूरे पड़े स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा राष्ट्रभाषा कार्यक्रमों को पुनः प्रारंभ किया। वह हिन्दी भाषा, नागरी लिपि तथा प्रांतीय भाषाओं को क्रमशः राष्ट्रभाषा, सर्वमान्य लिपि तथा शिक्षा का माध्यम बनाने और उनके प्रचार-प्रसार के लिए भाषा तथा लिपि संबंधी कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेने लगे।

वर्ष 1915 से महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हो चुका था; इसीलिए महात्मा गांधी की लोकमान्य तिलक से राजनैतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रभाषा संबंधी सम्मेलनों में अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। कार्यक्रमों में लोकमान्य तिलक के देशप्रेम, न्यायवृत्ति तथा राष्ट्रभाषा संबंधी विचारों को सुनकर महात्मा गांधी, उनके बड़े प्रशंसक हो गए थे। लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी की कार्यक्रमों में सामान्यतः मुलाकात हो जाया करती थी। किन्तु, वर्ष 1917 में कलकत्ता महासभा के दौरान, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की एक सभा का आयोजन किया गया था; जिसमें लोकमान्य तिलक ने प्रांतीय भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा से संबंधित सारगर्भित भाषण दिया। प्रांतीय भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा संबंधी भाषण को सुनकर महात्मा गांधी इतने अधिक प्रभावित हुए कि वह तिलक को अपना आदर्श मानने लगे थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक 'मेरे समकालीन' में किया है। जिसके प्रमुख अंश हैं-

भाषण में तिलक ने कहा था कि, "मैं अंग्रेजी शासन की खूब निंदा करता हूँ, फिर भी अंग्रेज विद्वानों ने हमारी भाषाओं की जो सेवा की है। उसे हम भुला नहीं सकते हैं।" लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रभाषा के क्षेत्र को व्यापक करने के लिए अपने भाषण में लोगों से अपील की थी; यदि हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आसीन कराना है, तो हमें अंग्रेज विद्वानों की भाँति प्रयास करना चाहिए।9

महात्मा गांधी ने 'मेरे समकालीन' पुस्तक में लोकमान्य तिलक के भाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक के द्वारा प्रांतीय भाषाओं विकास में, ब्रिटिश सरकार के योगदान को स्वीकार करना, उनके विशाल हृदय की उदारता को प्रतिबिम्बित करता है। पुस्तक में महात्मा गांधी ने आगे कहा कि हमें लोकमान्य तिलक की तरह मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा भारतीय संस्कृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना होगा। साथ ही, लोकमान्य तिलक की तरह विदेशी भाषाओं को त्यागकर, राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तभी हम लोकमान्य तिलक के द्वारा रखे गए राष्ट्रभाषा संबंधी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। 10

महात्मा गांधी यदि लोकमान्य तिलक के प्रशंसक थे, तो लोकमान्य तिलक भी महात्मा गांधी का हृदय से सम्मान करते थे। लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी की कुछ विशिष्ट समर्थकों के प्रयास से, एक बार दोनों नेताओं की गुप्त बैठक हुई थी; बैठक की समाप्ति के पश्चात तिलक ने कहा था, यह आदमी अपना नहीं है, किन्तु भविष्य में गांधी के हाथों में देश सुरक्षित रहेगा। इससे स्पष्ट है कि लोकमान्य तिलक भी महात्मा गांधी के विचारों को गंभीरता से लेते थे।

_

 $^{^{8}}$.बनारसीदास चतुर्वेदी, राष्ट्रभाषा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1976, मुख पृष्ठ

 $^{^{9}}$.महात्मा गांधी, मेरे समकालीन, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 1951, पृष्ठ क्रमांक 268 और 276

 $^{^{10}}$.वही, पृष्ठ क्रमांक 271

ऐसा ही एक वाकया का जिक्र रामेश्वरदयाल दुबे ने 'राष्ट्रभाषा रजत जयंती ग्रंथ' में उल्लेखित किया है। यह घटना कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1917 की है, जब कुछ मित्रों ने समय निकालकर अल्फ्रेड थियेटर में 'राष्ट्रभाषा प्रचार कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया था। कॉन्फ्रेंस में लोकमान्य तिलक ने विदेशी संस्कृतियों पर औजस्वी वक्तव्य दिया था, किन्तु यह वक्तव्य अंग्रेजी भाषा में था। महात्मा गांधी ने भाषण समाप्ति पर, सभा में उपस्थित लोगों से हिन्दी में बोलते हुए कहा कि यहाँ उपस्थित कितने लोगों को यह भाषण पूर्ण रूप से समझ में आया; तब सभा में उपस्थित कम लोगों ने अपने हाथ उठाए। जब गांधी जी ने फिर कहा कि यदि यह भाषण हिन्दी में होता, तब कितने लोगों को समझ में आता; तब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपने-अपने हाथ खड़े कर दिए। इस घटना से जहाँ एक ओर यह स्पष्ट होता कि हिन्दी ही, एक ऐसी भाषा है, जिसके माध्यम से भारत में बहुसंख्यक लोग अपने विचारों का परस्पर आदान-प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर लोकमान्य तिलक ने इस घटना के बाद हिन्दी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी।11

लोकमान्य तिलक ने होमरूल आंदोलन के प्रचार-प्रसार के लिए, जब मध्यभारत का दौरा किया, इससे पूर्व उन्होंने हिन्दी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसलिए उन्होंने कई जगहों पर, सार्वजनिक सभाओं में हिन्दी भाषा में भाषण दिया। होमरूल आंदोलन के दौरान तिलक ने "क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा और भाषायी राज्यों की माँग को स्वराज की माँग से जोड़ दिया।" क्षेत्रीय भाषाओं पर बोलते हुए, तिलक ने कहा, क्या अंग्रेज अपने बच्चों को फ्रांसीसी में शिक्षा देते हैं? क्या जर्मनी के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं? यदि नहीं, तो हमारे बच्चों पर अंग्रेजी भाषा क्यों थोपी जा रही है? इसीलिए अब हमारी यह माँग है कि हमारे बच्चों को भी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। 12 लोकमान्य तिलक के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थन में दिए गए भाषणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें क्षेत्रीय या मराठी भाषा की संकीर्णता विद्यमान नहीं थी।

क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की निरंतर माँग करने पर, कई राष्ट्रीय नेताओं ने लोकमान्य तिलक की आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रकार की माँग, राष्ट्रीय एकता के लिए भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती है। लोकमान्य तिलक ने इन आलोचनाओं का जबाव देते हुए कहा था कि भारत में प्रांतीय भाषाओं के विकास से राष्ट्रीय एकता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यद्यपि प्रांतीय भाषाओं को फलने-फूलने का अनुकूल माहौल प्रदान करना चाहिए। साथ ही, शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से प्रांतीय भाषा बनाया जाना चाहिए। वे लोकमान्य तिलक के भाषा संबंधी विचार स्पष्ट थे, वह प्रांतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम तो बनाना चाहते थे, किन्तु राषट्रभाषा के लिए हिन्दी को ही उपयुक्त मानते थे।

लोकमान्य तिलक हिन्दी भाषा लिखने-बोलने तथा लेखों व भाषणों के माध्यम से उसकी महत्वता बताने तक ही सीमित नहीं रहे; उन्होंने हिन्दी भाषा तथा प्रांतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार में भी महती भूमिका निभाई। वह अपने मित्रों व अनुयायियों को भी हिन्दी भाषा की प्रासंगिकता बताते हुए, उसके उपयोग के लिए विशेष प्रोत्साहित करते थे। तिलक के ऐसे ही अनुयायियों में एन.सी. केलकर का नाम उल्लेखनीय है, जो लोकमान्य तिलक के बाद केसरी पत्र के संपादक बने थे। एन.सी. केलकर ने राष्ट्रभाषा तथा प्रांतीय भाषाओं पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि संपूर्ण देश के लिए सर्वमान्य भाषा हिन्दी होनी चाहिए; क्योंकि हिन्दी ही ऐसी भाषा है, जो राष्ट्रभाषा बनने की सभी शर्तों को पूर्ण करती है। वहीं, प्रांतीय भाषाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रांतीय भाषाओं का भी अपने-अपने प्रांतों में विकास होना चाहिए और संबंधित प्रांतों में प्रांतीय भाषा के माध्यम से ही शिक्षा तथा प्रशासनिक कार्य संपन्न होने चाहिए। वहीं, दो या दो अधिक प्रांतों तथा केन्द्र सरकार के बीच होने वाले पत्र व्यवहार तथा संवाद की भाषा हिन्दी होनी चाहिए। क्योंकि, वर्तमान में

 $^{^{11}}$.रामेश्वरदयाल दुबे, राष्ट्रभाषा रजत-जयंती ग्रंथ (गांधी जी और राष्ट्रभाषा), उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाष प्रचार सभा, कटक, पृष्ठ क्रमांक 15

 $^{^{12}}$.बिपिन चंद्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ क्रमांक 139

 $^{^{13}}$.शांता साटे, लोकमान्य तिलक, हिज सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, दिल्ली, 1994, पृष्ठ क्रमांक 113

अधिकांश प्रांत जितनी आसानी से हिन्दी भाषा को समझ सकते हैं, उतनी आसानी से अन्य प्रांतीय भाषा को नहीं समझ सकते। 14 अतएव, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रांतीय भाषाओं में ऐसी कोई भाषा नहीं है, जो हिन्दी का स्थान ले सके, इसीलिए बेहतर यही है कि हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए।

उपर्युक्त समीक्षा से स्पष्ट होता है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए आंदोलन चलाने से पूर्व अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, किन्तु बाद में तिलक को यह महसूस होने लगा था कि देश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जाग्रति, हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा प्रांतों में स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर ही आएगी। इसी विचारधारा को केन्द्र में रखकर तिलक ने वर्ष 1900 के पश्चात, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने हेत्, भाषा विषयक दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया। तिलक ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा जनता के बीच हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 'केसरी' पत्र का हिन्दी विभाग प्रारंभ किया। अपने परवर्ती काल में, उन्होंने हिन्दी भाषा सीखी तथा वह हिन्दी भाषा से संबंधित सभाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित भी होने लगे। जहाँ हिन्दी भाषा में बोलते हुए, लोगों को अधिक से अधिक हिन्दी लिखने व बोलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अतः यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी की कि प्रथम राष्ट्रीय नेता के रूप में, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, जो आंदोलन लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था; उसी का परिणाम है कि आजादी के बाद भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- सिद्धनाथ माधव लोंढे, तिलक चरित्र, धोंडों काशीनाथ फड़के, अरूणोदय प्रेस, ठाणें, मुंबई, 1927, पृष्ठ क्रमांक 22 1.
- बिपिन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2013, पृष्ठ 2. क्रमांक 116
- डॉ.बी.आर.पुरोहित, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2019, पृष्ठ 3. क्रमांक 126
- विनायक सीताराम सरवठे, लोकमान्य तिलक जीवन चरित्र, हिन्दी साहित्य मंदिर, इंदौर 1920, पृष्ठ क्रमांक 4.
- विनायक सीताराम सरवठे, लोकमान्य तिलक जीवन चरित्र, हिन्दी साहित्य मंदिर, इंदौर 1920, पृष्ठ क्रमांक 5. 108
- वी.जी. देशपाण्डे, लोकमान्य तिलक चरित्र, नागरी प्रचारिणी सभा, वर्धा, पृष्ठ क्रमांक 31 6.
- विश्व प्रकाश गृप्त, मोहनी गृप्त, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ 7. क्रमांक 240
- बनारसीदास चतुर्वेदी, राष्ट्रभाषा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1976, मुख पृष्ठ 8.
- महात्मा गांधी, मेरे समकालीन, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 1951, पृष्ठ क्रमांक 268 और 276 9.
- वही, पृष्ठ क्रमांक 271 10.
- रामेश्वरदयाल दुबे, राष्ट्रभाषा रजत-जयंती ग्रंथ (गांधी जी और राष्ट्रभाषा), उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाष प्रचार सभा, 11. कटक, पृष्ठ क्रमांक 15
- बिपिन चंद्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ क्रमांक 139 12.
- शांता साटे, लोकमान्य तिलक, हिज सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, दिल्ली, 1994, पृष्ठ क्रमांक 113 13.
- बनारसीदास चतुर्वेदी, पूर्वोक्त, पृष्ठ क्रमांक 63 14.

	ır	\neg	ıF	ì
	ш		и	ı

 $^{^{14}}$. बनारसीदास चतुर्वेदी, पूर्वोक्त, पृष्ठ क्रमांक 63

7.

नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थाच्या कामकाजाचे अध्ययन

प्रा. डॉ. आर. एस. शिंदे

संशोधक मार्गदर्शक व अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, राजर्षी शाह् महाविद्यालय,परभणी

कोकरे तुकाराम सिताराम

(एम.ए.बी.एड.अर्थशास्त्र, सी-टीईटी) श्री रेणुकादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जालना (लिपिक) पोष्ट.रा.वैद्य वडगाव ता. मंठा, जिल्हा. जालना

प्रस्तावना :-

भारत हा मुख्यतः खेड्यापाड्यांचा देश असून भारतात एकूण लोकसंखेच्या ७०%लोक ग्रामीण भागात राहतात व शेती हे त्यांचे उदरिनर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. अश्या शेती व्यवसायात भांडवलाचा पुरवठा होत नव्हता. आणि हा समाज सावकारच्या कर्जाखाली बुडून गेला पावसाचा अनिश्चितपण, रोगराई, सततचा दुष्काळ, यामुळे हा समाज जास्त त्रस्त झाला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जर या समस्या सोडविल्या नाही तर शेतकरी बंड करतील या भीतीने इंग्रज सरकारने सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे बीज पेरले. आज त्याच चळवळीचा विकास होत गेला आहे. व या चळवळीने देशात वेगळे स्थान प्राप्त केले आहे. भारतीय रिझर्व बँकेची मदत घेऊन व ग्रामीण समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यात सहकारी संस्थाचा महत्वाचा वाटा आहे. समाजवादी समाज रचना प्रस्थापित करून संघराज्याचे स्वप्न उराशी बाळगून सहकारी यंत्रणा नियोजन बद्ध पद्धतीने कार्यरत आहे. नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था समाजरचनेचे उदिष्ट साकार करण्याचे कार्य करीत आहे. सहकारी क्षेत्रात नफा मिळविणे याला महत्त्व नसते. तर ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करणे आणि आर्थिक विकास घडवून आणणे हा सहकारी क्षेत्राचा मुख्य उद्देश आहे.

उदिष्ट्रये

- 1. नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थाच्या कार्यक्षेत्राचा विकास होण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- 2. नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थामधील कर्मचारी प्रशिक्षणाचा आढावा घेणे.
- 3. नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थाचा व्यवहारामध्ये सुधारणा घडवून आणने.

गृहीतके :-

- १) नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थाचा व्यवहारामध्ये सुधारणा झाली आहे.
- २) नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थामध्ये प्रशिक्षित वर्ग आहे.
- ३) नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थाचा सोयी सुविधांमध्ये वाढ झाली आहे.

संशोधन पद्धती:- सदरील शोधनिबंध द्वितीय साधन सामग्रीच्या आधारे लिहिला आहे. त्यामध्ये संदर्भ ग्रंथ, शासकीय अहवाल, सहकारी मासिके, नागरी सहकारी बँकाचे वार्षिक अहवाल, जिल्हा सांख्यिकीय वार्षिक अहवाल, वेबसाईट, दैनिके यांचा आधार घेऊन संशोधन पेपर पूर्ण करण्यात आला.

व्याप्ती :-

सदरील संशोधन पेपर हा जालना जिल्ह्याचा संदर्भ घेऊन लिहिण्यात आला आहे.

सहकाराच्या संकल्पना :-

१)समान गरजा असलेल्या व्यक्तींनी एकत्र येऊन समान आर्थिक उदिष्ट्य साध्य करण्यासाठी केलेले स्वेच्छा संघटन वृद्धिंगत करणारी व्यापक चळवळ म्हणजे सहकार होय. - श्री वैकुंठ्लाल मेहता

२) एकता, लोकशाही, समता, व स्वातंत्र्य या तत्वावर आधारित सामाजिक संघटन म्हणजे सहकार होय. - डब्लू.पी. वॅटिकिन्स सहकाराची पार्श्वभुमी :-

सहकाराची सुरुवात इंग्लडमध्ये प्रथमत: झाली. १८४४ मध्ये रोश्डेल पोयोनिर "ग्राहक सह भांडार" ही जगातील पहिली सहकारी संस्था ४८ विणकर कामगारांणी स्थापन केली 1904 मध्ये सर्वप्रथम भारतात सहकार कायदा अस्तीत्वात आला. ज्याला हिंदुस्थानासह कृषीपत पुरवठा संस्थेचा कायदा असे संबोधण्यात आले. तत्पूर्वी १८८९ मध्ये अन्योन्य सहकारी मंडळी ही पतसंस्था भारतामध्ये प्रा. विञ्चल लक्ष्मण कवठेकर यांनी स्थापन केली होती. तर पहिली शेतकी पतपेढी धारवाड जिल्ह्यात स्थापन झाली.

सन १९१२ मध्ये सहकारी संस्थेचा कायदा अस्तीत्वात आला. व १९१४ मध्ये मद्रास प्रांतामध्ये सहकारी संघाची स्थापना झाली. १९१९ च्या सालच्या कायद्यानुसर प्रांतिक सरकारांना आपापले सहकार विषयक कायदे करण्याचे अधिकार देण्यात आले.

सहकारी बँका आणि पतसंस्थाच्या कार्याचा विकास :-

नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थाचा विकास हा देशाचा आर्थिक पाया मानला जातो. आधुनिक काळात व्यापारी बँकाबरोबरच नागरी सहकारी बँकाचेही महत्त्व वाढले. कारण मोठ्या प्रमाणात नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था लघु व कुटीर उद्योगांना वित्त पुरवठा करताना दिसून येत आहे. तसेच नागरी सहकारी बँका ग्रामीण भागत सुद्धा वित्तपुवठा करताना दिसून येते. याच बरोबर त्यांनी आपल्या शाखांमध्ये वाढ केलेली दिसून येते. या वाढ झालेल्या शाखांच्या मार्फत ग्रामीण भागापर्यंत पोहचताना आपल्याला दिसून येते. नागरी सहकारी पतसंस्थामुळे छोटे उद्योग करणारे, तसेच कुटीर उद्योग करणारे, किरकोळ अश्या उद्योजकांना छोटे छोटे कर्ज देऊन सभासद संख्या वाढवली आहे व छोट्या उद्योजकांच्या प्रगतीत मोठ्या प्रमाणात हातभार लावताना दिसून येते, तसेच सहकारी बँका आणि पतसंस्थानी बचतीला प्रोत्साहन दिले.

पतनिर्मिती व आर्थिक विकास :-

सहकारी बँका ठेवी गोळा करतात. ठेवीदाराला रिझर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज देतात. तसेच कर्ज मागणाऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. कर्ज दिल्यामुळे पतपैसा निर्माण होतो. तसेच बँकांना कर्जावरील व्याज मिळत गेल्यामुळे नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थाचा पतपैसा वाढतो. यातूनच नागरी सहकारी बँकाची पत सुधारून देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागतो.

ISSN: 2348-1390

प्रशिक्षण:- आज आपण पाहतो की कुठल्याही उद्योगाला किंवा व्यवसायला सुरुवात करायची असेल तर त्याचा अनुभव आवश्यक असतो. त्याच अनुभवाच्या बळावर आपण भक्कम पाया उभा करू शकतो म्हणूनच नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थेमध्ये अनुभवी कर्मच्याऱ्यांची आवश्यकता असते. तसेच ज्यांना अनुभव नाही त्यांना प्रशिक्षण दिल्या जाते. आणि बँकिंग क्षेत्रात त्या कर्मच्याऱ्यांना परिपक्व बनवत जाते. नागरी सहकारी बँका असो वा पतसंस्था असो आज दोन्ही घटक कर्मच्याऱ्यांना प्रशिक्षण देत आहेत आणि त्यांना परिपक्व बनवण्याचे काम करत आहे.

बँका आणि पतसंस्थेच्या सोयीसुविधामध्ये वाढ:-

नागरी सहकारी बँका व्यापारी बँकाप्रमाणेचे आपल्या खातेदारांना सुरक्षा कक्ष, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैशाची पाठवणी, हुंड्यावटविणे तसेच धनादेश सुविधा या प्रकारच्या सुविधा, नेट बँकिंग, UPI, अशा अनेक मोठ्या प्रमाणात सुविधा नागरी सहकारी बँका मार्फत दिल्या जातात. नागरी सहकारी बँकावर पूर्ण पणे भारतीय रिझर्व बँकेचे नियंत्रण असते. याचप्रमाणे आपण नागरी सहकारी पतसंस्थेचा विचार केला तर नागरी सहकारी पतसंस्था ही NEFT, RTGS, IMPS. बिलभरणा केंद्र या प्रकारच्या सुविधा देत आहेत. परंतु नागरी सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्या ग्राहकांना धनादेशाची ही सुविधा देता येत नाही परंतु, धनादेश क्लोरेंगची सुविधा नागरी सहकारी पतसंस्था नागरी सहकारी बँका मार्फत आपल्या ग्राहकांना प्रवीत आहे.

नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थामधील फरक

अ.क्र.	नागरी सहकारी बँका	नागरी सहकारी पतसंस्था
1	नागरी सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र पतसंस्थे पेक्षा मोठे	नागरी सहकारी पतसंस्थेचे कार्यक्षेत्र अत्यंत अल्प असते.
	असते.	
		नागरी सहकारी पतसंस्था बँका प्रमाणे सर्व कार्य पार पडू
2	नागरी सहकारी बँका बँकिंगचे सर्व व्यवहार पार	शकत नाही.
	पडतात.	
		नागरी सहकारी पतसंस्था खातेदाराना चेकबुक सुविधा
3	नागरी सहकारी बँका खातेदारांना पैसे काढण्यासाठी	देऊ शकत नाही.
	चेकची परवानगी देतात.	
		त्यांच्यावर राज्यसहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार
8	नागरी सहकारी बँकेच्या कामकाजावर रिझर्व बँकेचे	सहकारी खात्याचे नियंत्रण असते.
	नियंत्रण असते.	
		नागरी सहकारी पतसंस्था सभासद व बिगर सभासदांच्या
5	नागरी सहकारी बँका फक्त बँकिंग व्यवसाय करू	दृष्टीने धान्य दुकान, किराणा दुकान, औषधाचे दुकान
	शकतात, त्यांना व्यापार करता येत नाही.	इ.व्यवसाय करू शकतात.

जालना जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था :-

जालना जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्याच्या मध्यभागत स्थित असून मराठवाडा विभागात येतो. औरंगाबाद जिल्ह्याचे विभाजन होऊन जालना जिल्हा हा दिनांक ०१ मे १९८१ पासून अस्तिवात आला आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय जालना असुन ते राज्याच्या व देशाच्या राजधानीशी ब्राडगेज रेल्वे लाइने जोडलेले आहे. तसेच जिल्ह्याशी राज्यातील मुख्य शहरे हे राज्य महामार्गाने जोडलेली आहेत. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यापैंकी जालना हा एक जिल्हा असुन हा जिल्हा हायब्रीड सीड्ससाठी प्रसिद्ध आहे.

जालना जिल्ह्यातील वित्तीय प्रणाली

- नागरी सहकारी बँका:- जालना जिल्हा सांख्यिकिय अहवालानुसार जालना जिल्ह्यामध्ये एकूण ०६ नागरी सहकारी बँका असुन त्यांचे एकूण 63.५७ हजार सभासद आहे. तर त्यांचे खेळते भांडवल ५७२६२.६० लाख आहे, तसेच नागरी सहकारी बँकांनी जे कर्ज वाटलेले आहे. ते १८११०३.६८ लाख आहे. आणि विशेष म्हणजे सहाच्या सहा बँका नफ्यात आहेत. यावरूनच आपल्याला असा अंदाज वर्तवता येतो कि बँकाची कामगिरी उत्तम आहे.
- नागरी सहकारी पतसंस्था:- २०२१ च्या जिल्हा सांख्यिकिय अहवालानुसार एकूण ८७ नागरी सहकारी पतसंस्था असुन त्यांच्या सभासदांची संख्या १००.४४ हजार आहे. तसेच या पतसंस्थाच्या ३५१३०.२० लाख स्थूल कर्जवाटप या नागरी सहकारी पतसंस्थांनी केलेले दिसून येते. या एकूण ८७ पतसंस्थापैकी ६४ पतसंस्था नफ्यात असून २३ पतसंस्था तोट्यात आढळतात.

निष्कर्ष :-

- १) नागरी सहकारी बँकाची प्रगती चांगली असून पूर्ण बँका नफ्यात असल्याचे या संशोधनात आढळून आले.
- २) नागरी सहकारी बँकाचे भागभांडवल हे वाढते असल्याचे आढळून आले.
- ३) जालना जिल्ह्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरलेले या संशोधनात आढळून आले.
- ४) नागरी सहकारी पतसंस्थाच्या कर्जवाटपामध्ये वाढ होत असल्याचे आढळून आले.

शिफारशी:

- 1. नागरी सहकारी पतसंस्थांनी कर्ज वसुलीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- 2. नागरी सहकारी पतसंस्थांनी आपल्या ठेवी मध्ये वाढ करण्यासाठी विविध योजना राबवाव्यात.
- 3. नागरी सहकारी बँकांनी आपले कार्यक्षेत्र वाढवावे.
- 4. नागरी सहकारी बँकाची कर्ज प्रक्रिया किचकट असून ती सुलभ करण्यात यावी.
- 5. नागरी सहकारी पतसंस्थांनी नागरी सहकारी बँकांप्रमाणे ग्राहकांना धनादेशाची सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.

संदर्भ :-

- 1. रुद्र दत्त, सुंदरम के.पी.एम.,"भारतीय अर्थव्यवस्था" एस चंद अंड कंपनी.लि. नवी दिल्ली, २००२.
- 2. अहिरराव जितेंद्र, टकले दिनकर, मुळे सदाशिव, "सहकार" धैर्य प्रकाशन माटुंगा,(मुंबई)२००६ .
- 3. Bhatia B.S., Verma M. L. & Garg Mahesh, "Co-Operative banking" Deep & Deep Publication New, १९९४.
- 4. कुलकर्णी, "सहकारी बँक व्यवसाय आणि पतसंस्था", निराली प्रकाशन पुणे २०१३.
- 5. जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-२०२०.
- 6. जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-२०२१



8.

महाराष्ट्रातील कुपोषण-एक दृष्टीक्षेप

प्रा डॉ रोडे दिगंबर भगवानराव

अर्थशास्त्र विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी

महाराष्ट्र राज्य हे देशातील अग्रेसर राज्यांपैकी एक आहे. भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. कृषी, उद्योग व सेवा या तीनही क्षेत्रात महाराष्ट्राची असलेली प्रगती चांगली असल्याचे सांगता येते. महाराष्ट्र क्षेत्रफळाच्या दृष्टिकोनाने भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा दुसरा क्रमांक असून श्रमशक्ती च्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र समृद्ध आहे असे दिसते. 2018-19 आर्थिक वर्षात चालू किमतीनुसार देशाच्या GDP मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 13.88% इतका राहिला आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या उत्तर प्रदेश या घटक राज्याचा GDP मधील हाच वाटा 8.35 राहिला आहे त्या तुलनेत महाराष्ट्र पुढे असल्याचे दिसते. 2020 मध्ये निर्यात पूर्वतयारी निर्देशांकानुसार निर्यातीत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा 20% इतका आहे. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये भारतातील सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) प्राप्त करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये अपेक्षित दरडोई उत्पन्न नुसार महाराष्ट्र सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या राज्यांमध्ये नवव्या क्रमांकाचे राज्य ठरेल असा अंदाज आहे. देशाच्या केंद्र सरकारला राज्य मार्फत मिळणाऱ्या GST मध्ये एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा 15% इतका आहे.

महाराष्ट्राची वरील प्रमाणे आर्थिक पार्श्वभूमी असली तरीही महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्रातील जनतेच्या समोर अनेक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक इत्यादी समस्या आहेत. यातील एक महत्त्वाची समस्या महणजे महाराष्ट्रातील कुपोषणाचे प्रमाण याचा विचार करता येईल. महाराष्ट्रातील दारिद्र्य, स्त्री व तिच्या आरोग्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन, आरोग्यविषयक शिक्षणाचा अपुरा प्रचार-प्रसार इत्यादी कारणांमुळे कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. नुकतेच मुंबई हायकोर्टीन मनीषा आणि वंदना यांच्या बाबत व्यक्तव्य करताना भारतातील महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कुपोषण प्रमाण असणारे राज्य आहे असे स्पष्ट केले. मुंबई हायकोर्टीच्या मतानुसार 2019 ते 2022 या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यात 6582 बालकांचा मृत्यू झाला आहे.पुणे येथील एका एनजीओच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी जवळपास 45 हजार मुले (बालक) हे कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात.

कुपोषण संकल्पनाः

'एका किंवा अनेक आवश्यक पोषकांच्या अंशत: किंवा पूर्णपणे अभाव किंवा अधिक्यामुळे निर्माण होणारी आरोग्यविषयक अवस्था म्हणजे कुपोषण होय'

आहारातील प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ आणि कार्बोदके यांसारख्या पोषण द्रव्यांच्या प्रमाणात्मक आणि गुणात्मक अपुऱ्या प्रमाणामुळे, पर्यावरणीय घटकातील बदल, मोठे कुटुंब, मातेचे अस्वास्थ्य, मातेकडून अपुऱ्या दुधाची उपलब्धता, स्तनपान अकाली बंद करणे, प्रतिकूल सांस्कृतिक प्रथा अशा अनेक कारणांमुळे कुपोषण निर्माण होते. कुपोषणामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण

वाढते. जी कुपोषित बालके जिवंत राहतात त्यांच्या शारीरिक व मानसिक दुर्बलता निर्माण होते. कुपोषणाचे प्रमुख्याने चार प्रकारचे असू शकते.

अ) अधोकुपोषण (Under Nutrition):

दीर्घकाळात अपुऱ्या अन्न पदार्थाचे सेवन केल्याने अधोकुपोषणाची स्थिती निर्माण होते. त्यास उपासमार असेही म्हणतात.

ब) अतिपोषण (Over Nutrition):

दीर्घकाळापर्यंत भरपूर प्रमाणात अन्नपदार्थांचे सेवन केल्याने अतिपोषणाची स्थिती निर्माण होते. अतिपोषणामुळे अति लड्ठपणा, धमनी काठीण्यता, आणि मधुमेह होऊ शकतो.

क) असमतोल (Imbalance Nutrition):

कोणत्याही पोषण द्रव्यांची कमतरता नसताना आवश्यक पोषण द्रव्य अयोग्य प्रमाणात सेवन केल्याने ही विकृतीजन्य परिस्थिती निर्माण होते.

ड) विशिष्ट पोषणद्रव्याचा अभाव (Specific Deficiency):

एखाद्या पोषण द्रव्याच्या अंशत: किंवा पूर्णपणे अभावामुळे ही विकृतीजन्य परिस्थिती निर्माण होते.

कुपोषणामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन त्या कुपोषित व्यक्ती साथींच्या रोगांच्या विळख्यात सापडतात व त्यातून त्यांचा मृत्यू होतो किंवा त्यांची कार्यक्षमता गमावून बसण्याची वेळ येते.

महाराष्ट्रातील कुपोषण स्थिती:

सन 2019 20 च्या पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे नुसार महाराष्ट्रातील कुपोषणाच्या स्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झालेली आहे. मागील चार नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे च्या तुलनेत काही निकषांच्या बाबतीत महाराष्ट्रात सुधारणा झाल्याचे आढळून येते. असे असले तरीही अजूनही 6.5 टक्के लोक पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यापासुन वंचित आहेत. 2.2 टक्के लोकांना विद्युत उपलब्धता झालेली नाही. ग्रामीण भागातील हे प्रमाण 3.3 टक्के इतके आहे. अजूनही 80 टक्के लोक कोणत्याही आरोग्य विमा योजनेशी जोडले गेलेले नाही. या सर्वांचा परिणाम राज्यातील कुपोषण वाढण्यावर होतो. पोशन ट्रॅकरचा हवाला देत आरटीआयच्या उत्तरानुसार, महाराष्ट्रात 2021 मध्ये सर्वाधिक 6.16 लाख कुपोषित मुलांची नोंद झाली असून त्यात 1.57 लाख मध्यम तीव्र कुपोषण (Moderate Acute Malnutrition) मुले आणि 4.58 लाख तीव्र कुपोषण (Severe Acute Malnutrition) मुले आहेत.

मुलांचे कुपोषण

(शेकडा प्रमाण)

ISSN: 2348-1390

	1992-93	998-99	2005-06	2015-16	2019-20
वाढ खुंटलेले	41	40	38	34.4	35.2
अपंग	23	21	15	25.6	25.6
कमी वजनाची	53	50	40	36	36.1

आधार: National Family Health Serve of India- 1st to 5th.

वरील तक्त्याच्या आधारे आपणाला असे म्हणता येते की महाराष्ट्रातील कुपोषणाचे प्रमाण 1992 93 च्या तुलनेत 2019-20 मध्ये कमी झाले आहे. परंतु आजही 2019- 20 च्या सर्वेनुसार वाढ खुंटलेली, अपंगत्व असलेली आणि कमी वजनाची मुले 25 ते 35% पर्यंत पहावयास मिळतात ही गंभीर बाब आहे असे म्हणावे लागेल.

मुलांचे कुपोषणाचा दर्जा 2019-20

(5 वर्षेपेक्षा कमी वय-शेकडा प्रमाण)

ISSN: 2348-1390

कुपोषण प्रकार	शहरी	ग्रामीण	एकूण
वाढ खुंटलेले	34.9	35.5	35.2
अपंग	23	27	25.6
कमी वजनाची	33.3	38	36.1

आधार: National Family Health Serve of India- 5th.

मुलांच्या कुपोषणाचा दर्जा विचारात घेता 2019 20 च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार ग्रामीण भागातील तिन्ही प्रकारच्या कुपोषणाचे प्रमाण हे शहरी भागाच्या तुलनेत अधिक आहे.

बालमृत्यू दर

(दर हजारी)

	NFHS-1	NFHS-21	NFHS-3	NFHS-4	NFHS-5
	1992-93	998-99	2005-06	2015-16	2019-20
Urban/ शहरी	33	33	22	24	23
Rural/ग्रामीण	61	51	50	24	24
Total/ एकूण	51	44	38	24	23

आधार: National Family Health Serve of India- 1st to 5th.

वरील तक्त्याच्या आधारे त्याचप्रमाणे पहिल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे पासून ते पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे पर्यंत बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. असले तरी बालमृत्यूचे प्रमाण अद्यापही शहरी तसेच ग्रामीण भागात लक्षणीय आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील मृत्यूच्या प्रमाणामध्ये असलेली तफावत मात्र कमी होताना दिसते. पाचव्या सर्वेनुसार बालमृत्यूचे प्रमाण दर हजारी 23 इतक्या अधिक आहे.

अर्भक मृत्यू प्रमाण 2019-20

(प्रति 1,000 जिवंत जन्मांमागे बालकांचे मृत्यू)

अर्भक मर्त्यू	शहरी	ग्रामीण	एकूण
नवजात मुलांचा मृत्यू दर NNMR	15.1	17.6	16.5
अर्भक मृत्यू IMR	22.6	23.7	23.2
5वर्ष्ये वयापेक्षा कमी मृत्यू दर U5MR	28.2	27.9	28.0

आधार: National Family Health Serve of India- 5th.

अर्भक मृत्यू दर बाबतीमध्ये आपल्याला चिंताजनक परिस्थिती आहे. अर्भक मृत्यू दर 23.2 इतका अधिक आहे. संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण, मातांचे कुपोषण, आरोग्य बाबत निष्काळजीपणा, अपुऱ्या आरोग्यविषयक सुविधांचा प्रश्न या व अशा अनेक कारणांनी अर्भक मृत्यु दर जास्त असल्याचे सांगता येते.

लसीकरण प्रमाण

(शेकडा प्रमाण)

ISSN: 2348-1390

लसीकरण (वय 12 ते 23 महिन्याच्या आतील बालक)	NFHS-4	NFHS-5
	2015-16	2019-20
Urban/ शहरी	-	71.7
Rural/ग्रामीण	-	74.7
Total/ एकूण	56.2	73.5

সাधार: National Family Health Serve of India- 5^{th.}

वय 12 ते 23 महिन्याच्या आतील बालकांना आवश्यकत्या सर्व प्रकारच्या लसीकरण प्राप्त बालकांचे शेकडा प्रमाण अजूनही 73.5 इतके आहे. म्हणजे 26.5% बालकांना अजूनही आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या लसीकरणाचा लाभ होत नाही. यातही गंभीर बाब म्हणजे शहरी भागातील लसीकरण प्रमाण ग्रामीण भागाच्या तुलनेत कमी आहे.

पंडू रोगाचे Anemia प्रमाण 2019-20 (मुले व प्रौढ)

(शेकडा प्रमाण)

पंडू रोग	शहरी	ग्रामीण	एकूण
6 ते 59 महिने वयाची मुले	66.3	70.7	68.9
विवाहित महिला वय 15-49	52.0	56.1	54.2
विवाहित पुरुष वय 15-49	17.4	25.4	21.9
गर्भधारक महिला वय 15-49	44.2	46.5	45.7

आधार: National Family Health Serve of India- 5^{th.}

ॲनिमिया रोगाच्या बाबतीत विचार करता महाराष्ट्रातील स्त्रिया व मुलांमध्ये ॲनिमिया रोगाचे प्रमाण अधिक आहे.15 ते 49 या तरुण वयोगटातील पुरुषांच्या मध्येही ॲनिमिया बाधीत रोगाचे पुरुष 21.9 टक्के इतकी अधिक आहेत. गर्भ धारक महिलांच्या बाबतीत या रोगाचे प्रमाण 45.7 टक्के इतके आहे. ग्रामीण व शहरी भागाचे तुलना केली असता ग्रामीण भागामध्ये हे प्रमाण शहरी भागाच्या तुलनेत अधिक आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पुरुष, स्त्रिया व बालके सर्व व्यक्तींमध्ये रक्ताचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होते.

गर्भ प्रतिबंधक उपाय व संथात्मक प्रसूती प्रमाण- 2019-20 (मुले व प्रौढ)

(शेकडा प्रमाण)

चल / प्रकार	शहरी	ग्रामीण	एकूण
गर्भ प्रतिबंधक उपाय केलेले (विवाहित महिला वय 15-49)	65.8	66.5	66.2
संस्थात्मक प्रसूती प्रमाण (शेवटच्या 5 वर्षातील जन्म संखेत)	96.7	93.1	94.7

आधार: National Family Health Serve of India- 5th.

गर्भप्रतिबंधक उपाय याच्या बाबतीत सरकारने प्रयत्न करूनही अद्यापही गर्भप्रतिबंधक उपाय याचा वापर न करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण 23.8% इतके जास्त आहे.माता व अर्भक या दोघांच्याही जीविताच्या दृष्टिकोनातून संस्थात्मक प्रसूती होण्याचे प्रमाण अधिक असणे गरजेचे आहे. परंतु अद्यापही महाराष्ट्रात नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार अजूनही 5.3% प्रसूती ह्या खाजगी किंवा सरकारी दवाखान्यात होत नाहीत.आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध असूनही घरीच बाळाला जन्म देण्याची मानसिकता ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये अधिक दिसते. ग्रामीण भागात 6.9% इतक्या प्रसूती ह्या घरी किंवा अप्रशिक्षित महिलांच्या हातून केल्या जातात.

सारांश:

वरील संपूर्ण आकडेवारीवर विचार केला असता महाराष्ट्रातील कुपोषणाचे स्थिती यामध्ये सुधारणा होत असली तरी अद्यापही कुपोषणाचे प्रमाण कमी नाही. कुपोषण केवळ बालकांचा पुरतेच मर्यादित नसून, महिलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. आर्थिक दृष्ट्या प्रगत मांडल्या जाणाच्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अद्यापही आरोग्यविषयक परिस्थिती चिंतनीय दिसते. मुलांचे कुपोषण, बालकांचा मृत्यू दर, अर्भक मृत्यू दर, लसीकरणाचे प्रमाण या सर्वच बाबतीत अजून खूप सुधारणा होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरोग्य विषयक जाणीव जागृती निर्माण करणे, आरोग्यविषयक सविधान मध्ये वाढ घडून आणणे, संस्थात्मक प्रसूती प्रमाण वाढवणे, गर्भधारणा असलेल्या स्त्रिया,बालकांच्या भरण-पोषण यासाठी विविध उपायांची अजूनही गरज आहे. विशेषता ग्रामीण भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी ग्रामीण भागांमधून विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी सक्षमपणे करणे गरजेचे आहे. परंपरागत शिक्षणाबरोबरच आरोग्य विषयक जाणीव जागृती निर्माण करणारे पाठ्यक्रम शालेय जीवनामध्ये लागू करावे. आपण यातून अपंगत्वाचे प्रमाण कमी करून सक्षम पिढी निर्माण करता येईल.

संदर्भ ग्रंथ:

- 1) National Family Health Survey (NFHS-5) 2019-21 Maharashtra- India, March 2021, International Institute for Population Sciences Deonar, Mumbai 400 088
- **2)** A report on national crisis in Maharashtra-Prepared by Pune based NGO, support for advocacy and training to health initiatives.
- 3) Child malnutrition in India state of Maharashtra, Karen Holland(9 Feb 2006)
- 4) Growth and poverty in Maharashtra, Shrijeet Mishra and Manoj Panda
- 5) https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Maharashtra
- $6)\ https://mother child nutrition.org/india/overview-maharashtra.html$
- 7) https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR374/FR374_Maharashtra.pdf

